वार्षिक रिपोर्ट

2016-2017

कर्मचारी चयन आयोग

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	मुख्य सार	1-4
I.	आयोग द्वारा उठाए गए कदम	5-9
II.	कर्मचारी चयन आयोग के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	10-15
III.	वर्ष 2016 -17 का सिंहावलोकन	16-24
IV.	वर्ष 2016 -17 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन	25-33
V.	चयन पदों पर भर्ती	34-36
VI.	परीक्षा केन्द्र	37-43
VII.	आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन	44-46
VIII.	आयोग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां	47-49
IX.	सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	50-51
X.	पुरस्कार एवं सम्मान	52

परिशिष्ट

क.	कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले संकल्प का मूलपाठ तथा संशोधन	53-73
ख.	कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक चार्ट अध्यक्षों/सदस्यों और वर्तमान क्षेत्रीय निदेशकों/उप-निदेशकों की सूची	74-77
ग.	क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय और उनके कार्य-क्षेत्र	78-79
घ.	विभिन्न पदों के नाम/वेतनमान/संख्या	80-83

मुख्य सार

1. कर्मचारी चयन आयोग, आवेदकों की संख्या की दृष्टि से भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 में भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख'(राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

(अध्याय II)

2. (क). आयोग को एक वर्ष में 8 अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का अधिदेश दिया गया है, अर्थात्

I) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,

II) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा,

III) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा,

IV) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा,

V) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा

VI) कनिष्ठ अनुवादक (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) परीक्षा,

VII) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, और

VIII) आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा।

(ख). इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदोन्नति के लिए वर्ष में तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी करता है :

I) मल्टी टास्किंग स्टाफ(एम.टी.एस.) से अवर श्रेणी लिपिक(एल.डी.सी.) ग्रेड,

II) अवर श्रेणी लिपिक (एल.डी.सी.) से उच्च श्रेणी लिपिक(यू.डी.सी.) ग्रेड और

III) आशुलिपिक ग्रेड 'डी' से आशुलिपिक ग्रेड 'सी'।

(ग). आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में चयन पदों अर्थात एकाकी पदों के लिए भी भर्ती करता है। यह एकाकी पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत

शामिल नहीं हैं तथा इनकी अनिवार्य योग्यताएं कार्य आवश्यकता के अनुरूप है। इन पदों को पहले केवल साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था। क्योंकि दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार द्वारा निम्न स्तर के पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है अतः उक्त पदों को अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।

(घ). इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा सरकार के विशिष्ट निदेशों के अनुपालन में, दो गैर-अधिदेशित परीक्षाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। ये दो परीक्षाएं हैं :

(I) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी और एस.एस.एफ. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफल मैन (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा, और

(II) दिल्ली पुलिस में अस्थायी कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरुष एवं महिला परीक्षा।

इन परीक्षाओं के लिए आयोग ने क्रमशः गृह मंत्रालय तथा दिल्ली पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ड़). आयोग अंग्रेजी और हिन्दी में आवधिक टंकण कौशल परीक्षाएं भी आयोजित करता है।

(अध्याय II)

3. कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इसका इलाहाबाद, बेंगलूरु, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली में स्थित सात क्षेत्रीय कार्यालयों और चंडीगढ़ तथा रायपुर में स्थित दो उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करते हैं जिसमें संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से देश में विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षाएं आयोजित करना शामिल है।

(अध्याय II)

4. परीक्षाओं के निर्बाध आयोजन तथा योग्यता आधारित चयन के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा परीक्षा कार्यविधि की निरन्तर समीक्षाएं की जाती हैं तथा अपेक्षित सुधारों को लागू किया जाता है। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप और परीक्षा प्रक्रिया में अधिकतम कार्य-कुशलता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनेक नए कदम उठाए गए। आयोग द्वारा इस वर्ष के दौरान उठाया गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु विकल्पीय परीक्षाओं के आयोजन के लिए ओ.एम.आर. आधारित परीक्षा पद्धति के स्थान पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति को आरम्भ करना है। आयोग द्वारा लिखित परीक्षाओं और टंकण परीक्षा में छद्मवेषण को रोकने हेतु वीडियोग्राफी प्रारंभ करना तथा परीक्षा से संबंधित कदाचारों को रोकने के लिए अभ्यर्थियों की जामातलाशी हेतु परीक्षा केन्द्रों में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की सेवाओं का उपयोग करना शामिल था।

(अध्याय I)

5. परीक्षा से जुड़े मुख्य कार्यकलापों जैसे आवेदनों की प्राप्ति, प्रवेश पत्रों को जारी करना और परिणामों की घोषणा को पूर्णत: ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा, आयोग द्वारा ऑनलाइन रिक्ति संग्रहण की प्रणाली भी प्रारंभ की गई है।

(अध्याय I)

6. वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 68496 अभ्यर्थियों का तथा चयन पदों के लिए 384 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

(अध्याय III एवं IV)

7. आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 15 अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं(चरणों में आयोजित) और पुन: परीक्षाओं तथा 03 सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। दिनांक 01.01.2016 से, आयोग ने सरकार के निर्णय के अनुरुप समस्त समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए साक्षात्कारों का आयोजन करने की प्रथा को बंद कर दिया है। इससे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को शहरी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के समकक्ष रखने से पारदर्शिता और समानता में वृद्धि हुई है।

(अध्याय IV)

8. वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के अलग-अलग चरणों के लिए 1,86,85,240 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया। इसमें अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1,85,84,358 अभ्यर्थी, चयन पद परीक्षाओं के लिए 99,756 अभ्यर्थी तथा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1,126 अभ्यर्थी शामिल हैं।

(अध्याय IV एवं V)

9. वर्ष 2016 -17 के दौरान, आयोग ने देश भर में 98 परीक्षा केन्द्रों (अर्थात शहरों) में स्थित 409 परीक्षा स्थलों में 64,06,623 आवेदकों के लिए अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा(टियर-I) आयोजित की।

(अध्याय VI)

10. आयोग द्वारा अपनी परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1,20,19,689 अभ्यर्थियों, जिन्होंने आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, में से 42,92,441 महिला अभ्यर्थी थे। प्रतिशतता की दृष्टि से महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी 35.71 प्रतिशत थी।

(अध्यायVII)

11. राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों का कार्यन्वयन आयोग का एक सतत प्राथमिकता क्षेत्र है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए।

(अध्याय IX)

12. आयोग को ऑनलाइन सूचना का अधिकार पोर्टल पर दो श्रेणियों के अंतर्गत अर्थात (I) उत्तरों को देने के लिए लिया गया औसत समय और (II) दिए गए उत्तरों की गुणवत्ता के लिए "उत्कृष्टता के प्रमाणपत्र" प्रदान किए गए। आयोग ने वर्ष 2017 के लिए 'जैम्स ऑफ डिजिटल इंडिया' पुरस्कार भी प्राप्त किया। वर्ष 2016-17 के दौरान हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 'राजभाषा चल शील्ड' भी आयोग को प्रदान की गई।

(अध्याय IX और X)

अध्याय-I

आयोग द्वारा उठाए गए कदम

1.1 आयोग की कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि लाने और योग्यता आधारित चयन को सुगम बनाने के लिए, आयोग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं -

क. आवेदनों की प्राप्ति, रिक्ति संग्रहण, परिणामों की घोषणा तथा संबंधित गतिविधियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली।

1.2 पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में एक पहल के रूप में, आयोग द्वारा वर्ष 2010 में, चरणबद्ध रूप में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस समय आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए समस्त आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।

1.3 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से रिक्तियों के संग्रहण के लिए भी ऑनलाइन पद्धति अपनाई गई है।

1.4 इसी तरह, प्रत्येक परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर कुंजियों के बारे में अभ्यावेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं।

1.5 रिक्तियों के संग्रहण, आवेदनों की प्राप्ति और उत्तर कुंजियों के अभ्यावेदनों का समाधान करने के लिए ऑनलाइन पद्धति को अपनाने से यह प्रक्रियाएं समयबद्ध, परेशानी रहित और विश्वसनीय एवं आसान होने के साथ-साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित हो गई हैं।

1.6 सभी परीक्षा परिणामों को आयोग की वेबसाइट पर घोषित किया जाता है। प्रत्येक परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों के प्रवेशपत्रों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, ताकि अपनी परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी उन्हें देख सकें और डाउनलोड कर लें। अंतिम रूप से निर्णीत उत्तर कुंजियों को भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

1.7 आयोग अभ्यर्थियों के साथ प्रभावी सम्प्रेषण के लिए अपनी वेबसाइट पर विज्ञप्तियों और सचेतकों इत्यादि को भी अपलोड करता है।

ख. चयन पदों के लिए अभ्यर्थियों के आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति

1.8 वर्ष 2015-16 तक, चयन पदों के आवेदनों को केवल हार्ड कॉपी में ही प्राप्त किया जाता था। आयोग ने चयन पदों के आवेदनों को भी ऑनलाइन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है।

ग. परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति की शुरुआत

1.9 मई, 2016 तक, आयोग की सभी परीक्षाएं ओ.एम.आर. आधारित पद्धति में आयोजित की जाती थी। इसके पश्चात् जून, 2016 में, सरकार से पूर्व- अनुमोदन प्राप्त करके, एक बड़ी पहल के रूप में, आयोग ने अपनी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति को आरम्भ किया। आयोग द्वारा जून, 2016 में कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित पहली परीक्षा दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय

सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक पुन:परीक्षा, 2016 थी। इस परीक्षा की सफलता के आधार पर, आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित पद्धति में तेजी से और व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसके द्वारा एम.टी.एस. परीक्षा के अलावा आयोग की सभी मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु-विकल्पीय परीक्षाएं अब कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित की जा रही हैं।

1.10 31 मार्च, 2017 तक आयोग द्वारा निम्नलिखित 09 (नौ) परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित की गई हैं :-

(I) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (पेपर-I), 2016 की पुनः परीक्षा।

(II) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2016

(III) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2016

(IV) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (पेपर-II), 2016

(V) उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016

(VI) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2016

(VII) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा (पेपर-I), 2016

(VIII) चयन पद परीक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर)

(IX) चयन पद परीक्षा (मैट्रिक स्तर)

1.11 कम्प्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षाओं का आयोजन करने के कार्यनीतिक लाभ हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(I) परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति अधिक उपयोगी है तथा इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने के कारण यह तरीका अधिक विश्वसनीय, सक्षम और सुदृढ़ है।

(II) मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है, जिससे परीक्षा में नकल होने की सम्भावनाएं कम हो जाती हैं।

(III) प्रश्न पत्र प्रबंधन और संचालन में बृहत्तर लचीलापन और उच्चतर गोपनीयता होती है।

(IV) पूर्णतः स्वचलीकरण होने के कारण परिणामों में और अधिक परिशुद्धता होती है तथा इन्हें तेजी से तैयार किया जाता है।

(V) इसमें बेहतर आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण होता है तथा बेहतर रिपोर्ट तैयार की जाती है।

1.12 आयोग ने परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अभ्यर्थियों, विशेषतः सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने के भी अनेक उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(I) महानगरों / राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों में परीक्षा स्थल स्थापित करना ताकि अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान के निकटवर्ती परीक्षा स्थलों में परीक्षा देने के लिए स्थान दिया जा सके।

(II) ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारूप / कार्य पद्धति का सरलीकरण।

(III) परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के आयोजन में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में अभ्यर्थियों को विस्तार पूर्वक शिक्षित करने के लिए आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर 'एनिमेटिड वॉक थ्रू मॉड्यूल' को अपलोड करना।

(IV) आयोग तथा उसके क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अभ्यर्थियों के लिए 'प्रैक्टिस टैस्ट' और 'मॉक ड्रिल्स' को परीक्षाओं से पहले अपलोड करना ताकि अभ्यर्थी नियमित रूप से अभ्यास कर सकें तथा परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के बारे में स्वयं को अनुकूल बना सकें।

(V) डाक द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के बारे में अभ्यर्थियों, विशेषतः सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अभ्यर्थियों के मामले में किसी प्रकार की शिकायतों से बचने के लिए, अभ्यर्थियों के लाभ हेतु परीक्षाओं के प्रवेश प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करना क्योंकि डाक द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्रों को पहुंचाने में बहुत अधिक समय लग जाता है।

घ. एक बारगी पंजीकरण

1.13 अभ्यर्थियों का एक-बारगी पंजीकरण प्रारंभ करना, आयोग द्वारा उठाया गया एक मुख्य कदम है। इस व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थियों को केवल एक बार आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें "यूजर आई डी" और "पासवर्ड" जारी किए जाते हैं, जिसका वे आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उपयोग करते हैं। एक-बारगी पंजीकरण से अभ्यर्थियों का स्थायी डाटा संचय सृजित हो जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा नए आवेदनों को भरते समय मूल सूचना स्वतः प्रदर्शित हो जाती है। अभ्यर्थी समय-समय पर अपने प्रोफाईल को अद्यतन करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस व्यवस्था के कुछ विशिष्ट लाभ हैं। यह अभ्यर्थियों को एक अनन्य पहचान मुहैया करती है और अनेक पंजीकरण संख्याएं सृजित होने से रोकती है और वारित अभ्यर्थियों को आवेदन करने से रोकती है। यह अधिक- आयु और कम-आयु वाले अभ्यर्थियों की स्वतः छंटाई भी कर देती है।

1.14 अनिवार्य एक-बारगी पंजीकरण करते समय सभी अभ्यर्थियों की ई-मेल तथा दूरभाष संख्या को पंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों में, परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को ई-मेल और एस एम एस के माध्यम से अभ्यर्थियों की पंजीकृत ई-मेल आई डीज / मोबाईल नम्बरों पर इसे सम्प्रेषित किया जाता है।

ङ. डिजिटल फिंगर-प्रिंट संग्रहण

1.15 आयोग कंप्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षा से पहले और दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के फिंगर-प्रिंट भी लेता है। इस प्रकार लिए गए फिंगर-प्रिंट से आयोग को छद्मवेषण के मामले, यदि कोई हैं, की पहचान करने में सहायता मिलती है। इस फिंगर-प्रिंट डाटा बेस को नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों के सत्यापन को सुविधाजनक बनाने हेतु, आयोग द्वारा प्रयोक्ता विभागों के साथ उनके अनुरोध पर साझा किया जा सकता है।

च. आवेदन के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने से छुटकारा

1.16 इस व्यवस्था के अंतर्गत, चयन पदों को छोड़कर किसी अन्य पद के लिए आवेदन करते समय किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम चयन से पहले, आयोग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेजों का संग्रहण किया जाता है और उनका वास्तविक सत्यापन किया जाता है तथा संगत दस्तावेजों की स्वःप्रमाणित प्रतियां स्वीकार की जाती हैं।

छ. कनिष्ठ स्तरीय पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त किया जाना

1.17 सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, आयोग ने दिनांक 1.1.2016 से अपनी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया है।

ज. आशुलिपि परीक्षा के लिए वायस रिकार्डेड श्रुतलेखन

1.18 आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षाओं के लिए कौशल परीक्षाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने हेतु एक पहल के रूप में, आयोग ने ऑडियो रिकार्ड किए गए अनुच्छेद आरंभ किए हैं। इससे आयोग द्वारा क्रियान्वित कौशल परीक्षाओं में गुणवत्तात्मक सुधार हुआ है।

झ. दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं

1.19 आयोग दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) अभ्यर्थियों (40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता सहित) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित परीक्षाओं और वर्णनात्मक पेपरों के लिए प्रलिपिक तथा कौशल परीक्षाओं के लिए अनुच्छेद वाचक की सुविधा उपलब्ध कराता है। ऐसे अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं में 20 मिनट प्रतिघंटे का प्रतिपूरक समय भी दिया जाता है। आयोग, उन अभ्यर्थियों को भी प्रलिपिक की सुविधा और 20 मिनट प्रतिघंटे का प्रतिपूरक समय प्रदान करता है, जो चालन संबंधी दिव्यांगता (40 प्रतिशत या अधिक) सहित अस्थि दिव्यांग है, जहां अभ्यर्थी के धीमे कार्य-निष्पादन के कारण लेखन मुख्य रूप से प्रभावित होता है। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें मानचित्र / ग्राफ / सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित आरेख का विश्लेषण / रेखाचित्रों की व्याख्या / आरेख / पाई-चार्ट , इत्यादि कोई घटक नहीं होते हैं।

ञ. बायोमिट्रिक पंजीकरण

1.20 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रभावी जांच करने के लिए बायोमिट्रिक पंजीकरण प्रणाली शुरू की गयी है, जो अभ्यर्थी के फिंगर-प्रिंट और फोटो लेती है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था बायोमिट्रिक पंजीकरण के आधार पर यादृच्छिक रूप से की जाती है। बायोमिट्रिक पंजीकरण के चरण में लिया गया डाटा तदनंतर परीक्षा के विभिन्न स्तरों में बैठने वाले अभ्यर्थियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

ट. सी सी टी वी कैमरा कवरेज

1.21 परीक्षा से संबंधित कार्य-कलाप संवेदनशील प्रकति के होते हैं और इनकी गहनता से निगरानी किए जाने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर नजर रखने के लिए सी सी टी वी कैमरों के जरिए निगरानी की जाती है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति में संपूर्ण परीक्षा स्थल / लैब को सी सी टी वी कैमरा निगरानी द्वारा कवर किया जाता है। आयोग मुख्यालय के गोपनीय हॉलों में संवेदनशील परीक्षा सामग्री के रख-रखाव की निगरानी करने के लिए सी सी टी वी कैमरा मानीटरिंग कार्यशील है।

ठ. क्षेत्रीय निदेशकों / उप-निदेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग

1.22 पहले क्षेत्रीय निदेशकों / उप-निदेशकों को बैठकों के लिए आयोग के मुख्यालय बुलाना पड़ता था। इस वर्ष के दौरान, आयोग ने क्षेत्रीय निदेशकों/उप निदेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग आरंभ की है। इससे क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों और आयोग मुख्यालय में सूचना के सार्थक और यथार्थ आदान-प्रदान करने में योगदान मिला है। इससे यात्रा पर व्यय और समय बचाने के साथ-साथ आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर और गतिशील भी बनाया है। आयोग द्वारा इन वीडियो सम्मेलनों में नियमित आधार पर क्षेत्रीय निदेशकों / उप-निदेशकों के साथ वृहत्तर नीति संबंधी मामलों और परीक्षा के आयोजन के ब्यौरों के संबंध में यथार्थपूर्ण चर्चा की जाती है।

अध्याय-II

कर्मचारी चयन आयोग के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

क. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 संविधान के अनुच्छेद 320 में केन्द्र सरकार के सभी पदों एवं सेवाओं पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का संचालन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाने का उपबंध किया गया है। संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट (1967-68) में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही निम्नतर श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु परीक्षाएं कराने के लिए सेवा चयन आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। इसके अनुसरण तथा अंतरिम उपाय के रूप में भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान के साथ एक परीक्षा स्कंध जोड़ा गया।

2.2 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (प्र.सु.आ.) ने भी कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि केन्द्र और राज्यों में अधिकतर सरकारी स्टाफ की संख्या श्रेणी-III और श्रेणी- IV से संबंधित है। विभिन्न कार्यालयों में ऐसे पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं की एकरूपता का उल्लेख करते हुए प्र.सु. आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा गैर तकनीकी पदों की अपेक्षाओं हेतु पूल बनाए जाने और कार्मिकों का चयन संयुक्त भर्ती या बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की वकालत की। इस सिफारिश पर भलीभांति विचार करने के पश्चात, भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. बी (परिशिष्ट-क) के तहत अधीनस्थ सेवा आयोग गठित करने का निर्णय किया।

2.3 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह ग) के गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग को बाद में 26 सितम्बर,1977 से कर्मचारी चयन आयोग (क.च.आ.) के रूप में पुनः गठित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। मई, 1999 से इस आयोग को समूह ख (अराजपत्रित) के ऐसे सभी पदों की भर्ती का कामकाज भी सौंपा गया है जिनके अधिकतम वेतनमान 9300-34800 रुपए (ग्रेड वेतन 4600 रु.) से कम है। इन समूह 'ख' पदों की भर्ती पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी। नवम्बर, 2003 से केन्द्र सरकार ने आयोग को ऐसे सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती करने के लिए भी प्राधिकृत कर दिया है जिनके वेतनमान 9300-34800 रुपए (ग्रेड वेतन 4600 रु.) हैं।

2.4 दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं.39018/1/98-स्था.(ख) और इसके आनुक्रमिक संशोधन दिनांक 13.11.2003,29.9.2005, 14 जनवरी, 2011, 24 जुलाई,2012 और 17 फरवरी,2016 के संकल्प सं.24012/8-क/2003-स्था. (ख) के तहत परिभाषित कर्मचारी चयन आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं :-

क (I) भारत सरकार और उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, सिवाय उन पदों के जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हैं, 4800/- रु. तक के

ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में समूह ख (अराजपत्रित) पदों और समूह ग (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करना।

(II) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों की भर्ती करना।

(III) 4800/-रु. तक ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत उन पदों पर भर्ती करना, जिन पर आयोग के विवेकाधिकार से पहले शार्टलिस्टिंग या कौशल परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

(IV) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा(सी.एस.सी.एस.) / केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (सी.एस.एस.एस.) तथा इस प्रकार की अन्य सेवाओं की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना, जो आयोग को सौंपे गए हैं अथवा आयोग को सौंपे जा सकते हैं।

(V) अंग्रेजी/हिन्दी में कौशल परीक्षाओं का आवधिक आयोजन करना तथा इस प्रकार की अन्य कौशल परीक्षाओं का आयोजन करना जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।

(VI) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए इस प्रकार के अन्य कार्य करना।

(ख) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाओं और / अथवा जब भी अपेक्षित हो, साक्षात्कारों का आयोजन करना।

2.5 कर्मचारी चयन आयोग, आवेदकों की संख्या की दृष्टि से भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 में भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख'(राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

(क). आयोग को एक वर्ष में 8 अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का अधिदेश दिया गया है, अर्थात्

I) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,

II) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा,

III) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा,

IV) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा,

V) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा,

(vi) कनिष्ठ अनुवादक (केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) परीक्षा,

(vii) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, और

(viii) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा

(ख) इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदों से प्रोन्नति हेतु तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करता है:

(i) मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) से अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) ग्रेड,

(ii) अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) ग्रेड, और

(iii) आशुलिपिक ग्रेड 'घ' से आशुलिपिक ग्रेड 'ग'

(ग) आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर तकनीकी) पदों के लिए चयन पदों अर्थात एकाकी पदों (खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल न किए गए) पर भी भर्ती करता है। ये पद पहले केवल साक्षात्कार द्वारा ही भरे जाते थे। चूंकि भारत सरकार ने दिनांक 01.01.2016 से निचले स्तर के पदों के लिए साक्षात्कार की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, अत: उक्त पदों को अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग सरकार के विशिष्ट निदेशों पर दो गैर अधिदेशित परीक्षाएं भी आयोजित कर रहा है। ये परीक्षाएं निम्नलिखित हैं:

(i) कें.स.पु.ब., राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एवं एस.एस.एफ. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा, और

(ii) दिल्ली पुलिस में अस्थायी कांस्टेबल (कार्यकारी) - पुरूष एवं महिला परीक्षा

आयोग द्वारा ये परीक्षाएं क्रमश: गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के साथ किए गए समझौता ज्ञापन की रूप-रेखा के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

(ड.) आयोग अंग्रेजी और हिंदी में आवधिक टंकण कौशल परीक्षाएंभी आयोजित करता है।

ख. कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक ढांचा

2.6 कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख, अध्यक्ष हैं, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में अपर सचिव का है। उन्हें दो सदस्यों, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का है और अन्य अधिकारियों तथा समर्थक स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 31.03.2017 को आयोग की स्वीकृत स्टाफ संख्या नई दिल्ली स्थित

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित कुल मिलाकर 481 थी। स्वीकृत संख्या में 43 समूह 'क' पद 193 समूह 'ख' पद 240 समूह 'ग' पद शामिल हैं। 5 पदों को समाप्त हुआ माना गया है, क्योंकि ये विगत दस वर्षों से भी अधिक समय से खाली पड़े हुए हैं। पदों की कुल संस्वीकृत संख्या में से 221 (45.94%) पद मुख्यालय में स्थित हैं।

2.7 07 क्षेत्रीय और 02 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्वीकृत पदों का आबंटन निम्नानुसार हैः-

सारणी-1.1

क्षेत्रीय कार्यालय		
क्रम सं.	क्षेत्र	संस्वीकृत पद
1	मध्य क्षेत्र	36
2	पूर्वी क्षेत्र	39
3	कर्नाटक और केरल क्षेत्र	22
4	उत्तरी क्षेत्र	42
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र	21
6	दक्षिणी क्षेत्र	33
7	पश्चिमी क्षेत्र	33
उप-क्षेत्रीय कार्यालय		
8	मध्य प्रदेश क्षेत्र	17
9	पश्चिमोत्तर क्षेत्र	17
	कुल	**260**

2.8 आयोग का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-ख में दिया गया है।

2.9 पदों एवं उनका वेतनमान संबंधी ब्यौरा और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टॉफ की संख्या का ब्यौरा परिशिष्ट-घ में है।

क. क्षेत्रीय नेटवर्क

2.10 कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय ब्लॉक-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के 07 क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, बेंगलुरू, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और 02

उप-क्षेत्रीय कार्यालय चंड़ीगढ़ और रायपुर में स्थित हैं।

2.11 इस नेटवर्क से आयोग और राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों व केंन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित होता है। आयोग क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए परीक्षाओं के आयोजन में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होता है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यर्थियों को स्थानीय संपर्क केन्द्र प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।

2.12 आयोग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से अपनी सभी परीक्षाओं अर्थात् आठ (08) अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी अधिदेशित परीक्षाओं, तीन (03) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं, चयन पदों के लिए परीक्षाओं और इन परीक्षाओं से संबद्ध कौशल परीक्षाओं के निर्बाध एवं कुशल आयोजन करने व दस्तावेज सत्यापन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, आयोग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इसे निर्दिष्ट की गयी गैर-अधिदेशित परीक्षाओं को भी आयोजित करता है।

2.13 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षाओं के आयोजन में अन्तर्विष्ट विभिन्न अन्य कार्यकलापों को भी निष्पादित करते हैं, जैसे - आवेदनों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा तैयार करना, अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र (ए सी) जारी करना, जिला प्राधिकारियों / सेवा प्रदाताओं से विचार-विमर्श करके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा को बुक करना / उनके बारे में अतिम निर्णय करना, केन्द्र पर्यवेक्षकों को गैर-गोपनीय परीक्षा सामग्री भेजना, और विभिन्न परीक्षा स्थलों में निरीक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों को नियुक्त करना। वे विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा / शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीईटी/पीएसटी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) एवं पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के आयोजन से भी संबद्ध हैं।

2.14 आयोग मुख्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के उपरांत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित करना होता है, उन्हें नामांकित अभ्यर्थियों के डोजियर तैयार करने होते हैं और उन्हें प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों को भेजना होता है।

2.15 आयोग की परीक्षाओं के आयोजन की मूल रूप से क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है। बुनियादी स्तर पर समक्ष आ रहे संचालन संबंधी मुद्दों व समस्याओं को क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोग मुख्यालय को दिशा-निर्देश और निर्णय के लिए संदर्भित किया जाता है। ऐसे मुद्दों का त्वरित और समय पर समाधान करने के लिए आयोग मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो सम्मेलन के जरिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर आपसी विचार-विमर्श होता है।

2.16 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, उनके स्थान / पते और अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा परिशिष्ट-ग और ग-I में दिया गया है।

घ. बजट और परीक्षा शुल्क

2.17 भारत सरकार द्वारा आयोग के कार्य संचालन के लिए बजटीय सहायता कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वार्षिक बजट से दी जाती है। आयोग द्वारा आयोजित गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के संबंध में व्यय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर संबंधित मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

2.18 आयोग अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति के समय परीक्षा शुल्क लेता है। आयोग, सरकार के परामर्श से शुल्क ढांचे का निर्धारण करता है। वर्तमान समय में, आयोग सामान्य और अ.पि.व. वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से 100/- रु. शुल्क लेता है। अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), दिव्यांगजनों (शा.दि.), भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) और सभी महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गयी है। परीक्षा शुल्क का भुगतान सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के जरिए तथा ग्रामीण अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्टेट बैंक के बैंक चालान के माध्यम से होता है। अभ्यर्थियों से लिया गया शुल्क सीधे भारत की संचित निधि में जमा होता है।

2.19 वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग का व्यय 112.91 करोड़ रु. था तथा तदनुरूपी अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा से संबंधित अन्य प्रभारों से आय 71.67 करोड़ रु थी। कर्मचारी चयन आयोग का विगत तीन वर्षों में आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

सारणी-1.2

वर्ष	आय (करोड़ रु.)	ब.प्रा. (करोड़ रु.)	सं.प्रा. (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	उपयोग की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	5/4
2014-15	69.76	107.12	125.50	125.42	99.94%
2015-16	67.02	127.86	145.40	145.18	99.85%
2016-17	71.67	167.32	113.03	112.91	99.89%

अध्याय -III

वर्ष 2016-17 का सिंहावलोकन

3.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग को विभिन्न परीक्षाओं के लिए लगभग दो (2) करोड़ आवेदन प्राप्त हुए।

3.2 आयोग ने इस वर्ष के दौरान परीक्षा के कैलेंडर के अनुरूप परीक्षाओं का समय पर आयोजन सुनिश्चित किया तथा परीक्षा परिणामों की जल्दी घोषणा की । यह आयोग के लिए संतुष्टि का विषय है कि आवेदकों की संख्या में असाधारण वृद्धि के बावजूद आयोग समय पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम रहा है।

3.3 प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डेटा प्रविष्टि में गलतियों को खत्म करने और मैन्युअल रूप से प्राप्त आवेदन की डेटा प्रविष्टि के लिए लागत समय को बचाने के लिए ऑनलाइन आवेदनों की प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित व सुदृढ़ बनाया गया। वर्ष के दौरान सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। इससे अधिक सटीक डेटा बेस प्रदान करने के अलावा समय और व्यय में भी काफी बचत हुई है।

3.4 आयोग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 15 परीक्षाएं आयोजित कीं , जिनमें 54,82,214 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे।

3.5 वर्ष 2016-17 के दौरान, विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, तेलंगाना में हैदराबाद, निजामाबाद और वारंगल में चार नए परीक्षा केंद्र खोले गए। नए परीक्षा केंद्र खोलने के लिए आयोग की नीति है कि परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थियों के निवास स्थान के नजदीक उपलब्ध हो। परीक्षा केंद्र आमतौर पर उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ उम्मीदवारों की बड़ी संख्या होती है और ये स्थान रेल / सड़क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं ताकि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में शामिल होने में कम से कम असुविधा हो। परीक्षा स्थलों का आबंटन करते समय आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतता है कि महिलाओं और दिव्यांगजनों (शा.दि.) को असुविधा न हो।

3.6 परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता की आयोग की नीति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सभी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी प्रदर्शित करना, प्रश्नपत्र / उत्तर कुंजियों में किसी भी संभावित विसंगतियों के विरूद्ध अभ्यावेदन देने के लिए अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के कार्य को इस वर्ष को दौरान भी जारी रखा। आपत्तियां प्राप्त करने पर, आयोग अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करते समय सम्यक परिश्रम करता है। तदोपरांत अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाता है। ये अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है जिससे अभ्यर्थी परीक्षा में अपने कार्यनिष्पादन का आकलन कर सकते हैं। आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक भी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

3.7 वर्ष 2016-17 के दौरान, आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान आयोजित 05 अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए और विभिन्न प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों के लिए नियुक्ति के लिए 68,880 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इनमें से 68,496 अभ्यर्थी विभिन्न अखिल भारतीय खुली

प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए तथा 384 अभ्यर्थी चयन पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में यह आयोग द्वारा एक वित्तीय वर्ष में की गई दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है, जबकि 2012-2013 में यह आंकड़ा उच्चतम 83,591 था।

3.8 वर्ष 2016-17 के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में नियुक्ति के लिए संस्तुत क्षेत्रवार और श्रेणीवार अभ्यर्थियों का ब्योरा निम्नानुसार हैं:

सारणी – 3.1

खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गयी भर्ती

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे	4395	2368	131	7111	87	135	**14005**
पू.क्षे	3929	2749	1987	4740	55	62	**13405**
के.क.क्षे	804	416	186	1388	45	18	**2794**
म.प्र.क्षे.	718	594	1094	1390	7	24	**3796**
पूर्वो.क्षे.	1064	573	1556	2391	1	9	**5584**
उ.क्षे.	4628	1937	1069	3780	179	287	**11414**
पश्चि.क्षे.	1472	755	164	928	32	20	**3319**
द.क्षे.	1118	1510	548	5256	61	37	**8432**
प.क्षे.	1807	715	674	2551	68	65	**5747**
योग	**19935**	**11617**	**7409**	**29535**	**535**	**657**	**68496**

*** भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।**

वर्ष 2016-17 के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन

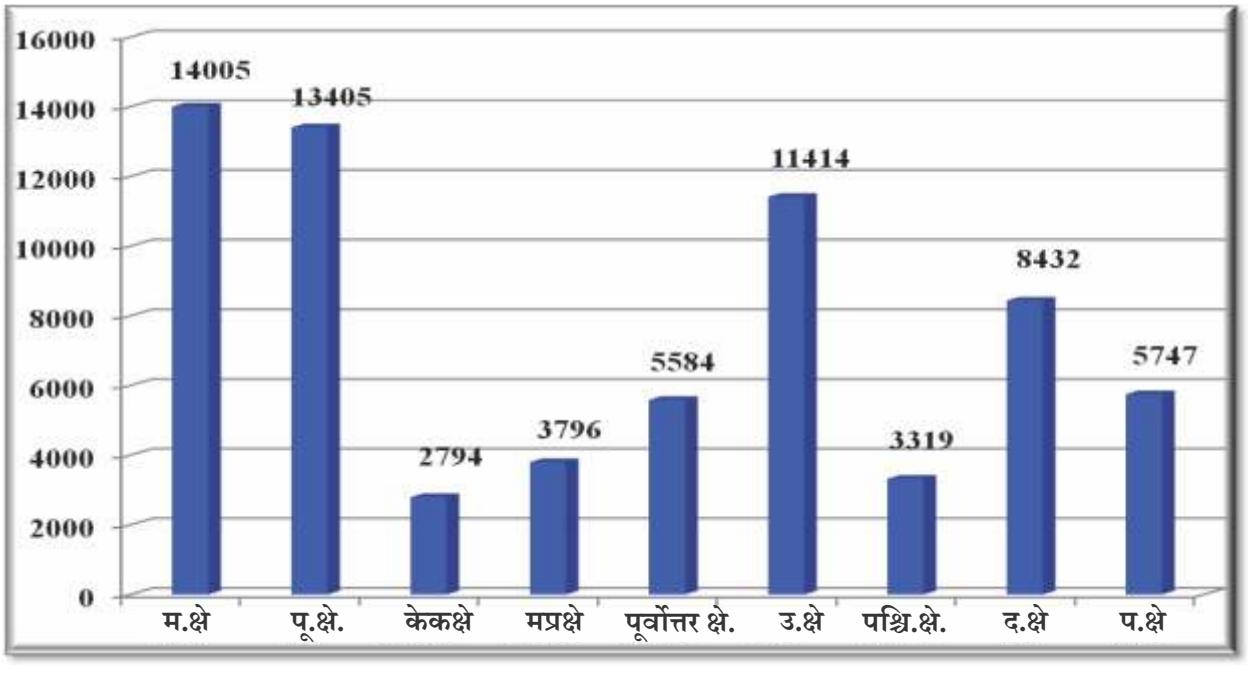

वर्ष 2016-17 के दौरान अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में अना,अजा,अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों का चयन

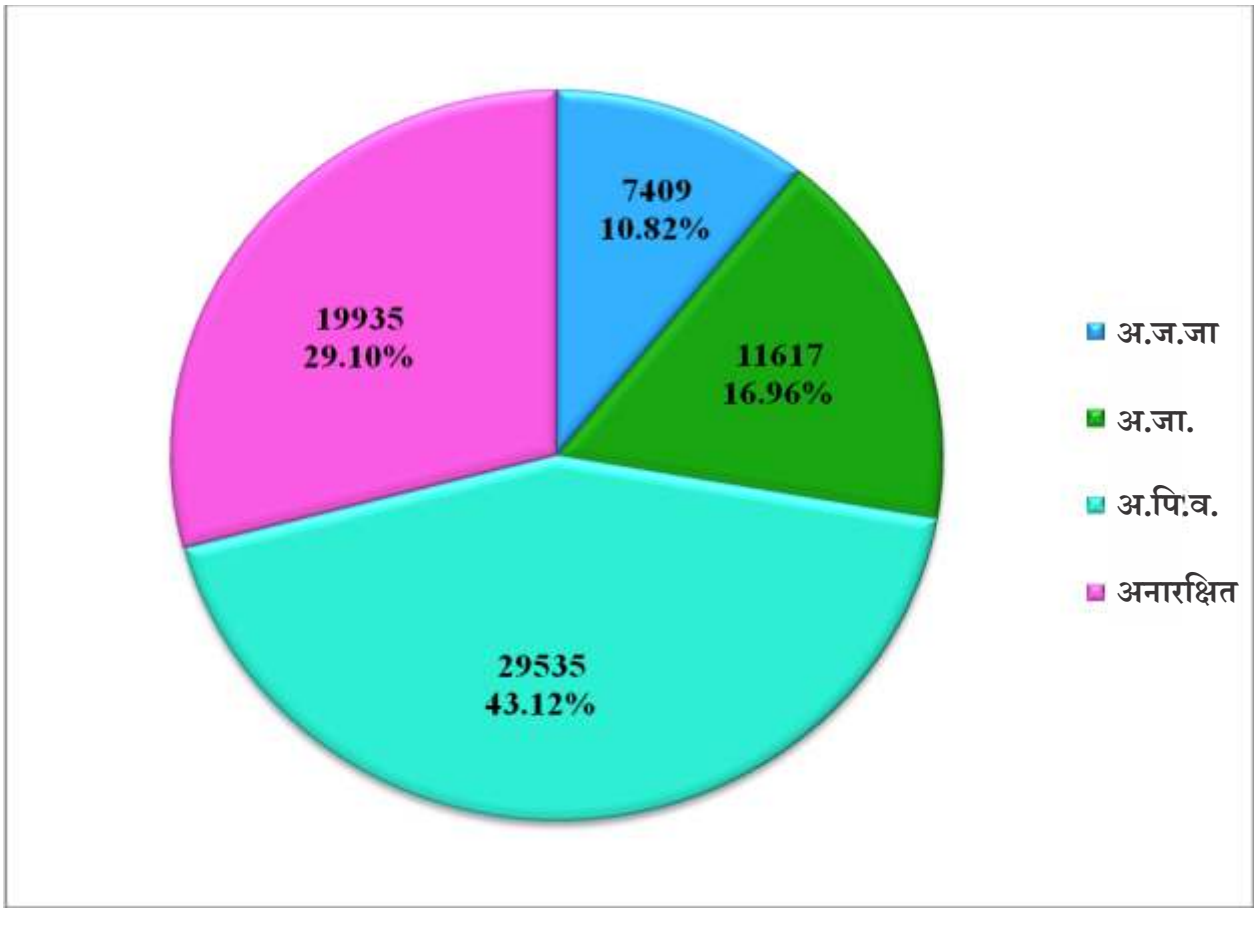

3.9 वर्ष 2016-17 के दौरान चयन पदों पर की गयी नियुक्त के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

सारणी – 3.2

चयन पदों के माध्यम से की गयी भर्ती

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे	19	3	1	21	0	0	44
पूर्वी. क्षे	22	9	4	31	0	4	66
के. क. क्षे	19	11	3	37	2	1	70
म.प्र.क्षे.	3	1	0	4	0	0	8
पूर्वो.क्षे.	7	4	1	3	0	0	15
उ.क्षे.	40	22	5	37	0	0	104
पश्चिमो. क्षे.	18	5	3	21	0	0	47
द.क्षे.	8	2	0	4	1	0	14
प.क्षे.	9	3	1	3	0	0	16
योग	**145**	**60**	**18**	**161**	**3**	**5**	**384**

*** भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।**

वर्ष 2016-17 के दौरान चयन पद परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन

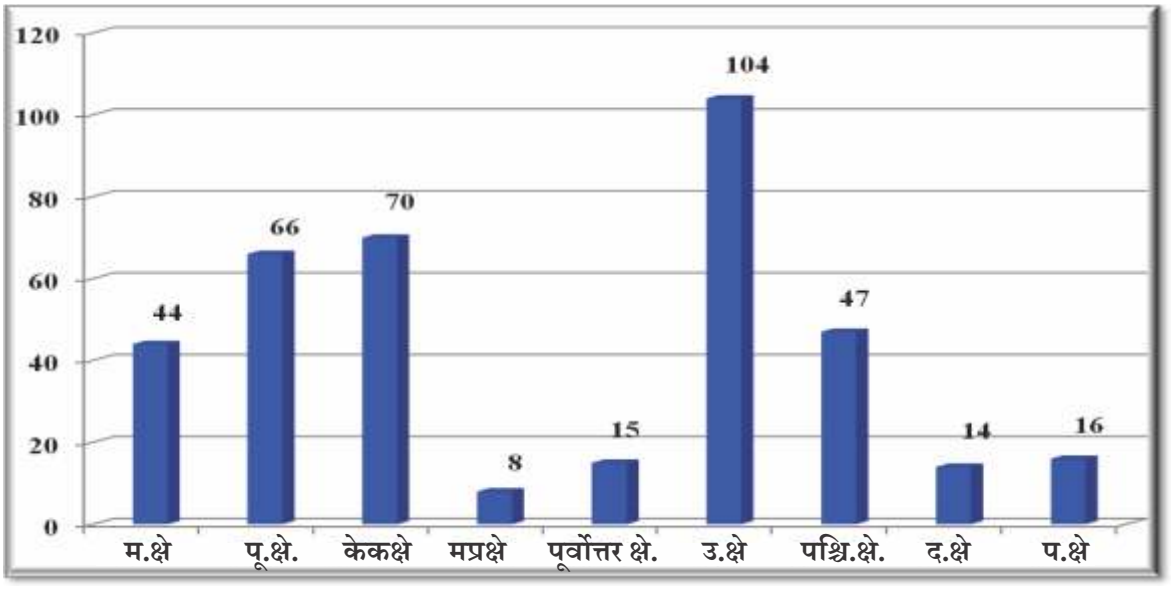

3.10 आयोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के लिए जनशक्ति का नियमित रूप से चयन कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2010-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 2,03,177 कांस्टेबल (सा.ड्यू.) / राइफलमैन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के लिए 17,255 उप निरीक्षक / सहायक उप-निरीक्षक की भर्ती की हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कुल 57,014 कांस्टेबल (सा.ड्यू.)/राइफलमैन की भर्ती की थी।

3.11 आयोग देश की राष्ट्रीय एकीकरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है जिसमें देश के हर हिस्से से अभ्यर्थी भाग लेते हैं। विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषा, रीति-रिवाज और संस्कृति से संबंधित इन चयनित कर्मियों से राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है।

क. सरकारी नौकरियों में अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम।

3.12 आयोग सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को यथोचित महत्व देता है और सुनिश्चित करता है कि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरा गया है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाती है और अपिव श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है।

ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।

iii) आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जनजाति अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोग का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में भी स्थित है।

3.13 वर्ष 2016-17 के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के नामित किए गए अभ्यर्थियों के ब्यौरे अध्याय-IV में दर्शाए गए हैं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान खुली परीक्षाओं के माध्यम से 11617 अ.जा अभ्यर्थी, 7409 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 29535 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 48561 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए थे। यह संख्या कुल नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या का 70.9% थी। इसी प्रकार 384 चयन पदों में से 60 अ.जा. अभ्यर्थी, 18 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 161 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 239 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए। यह नियुक्ति के लिए संस्तुत कुल अभ्यर्थियों का 62.24% बैठती है।

ख. शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रदान की गई सुविधाएं

3.14 आयोग 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.), अस्थि दिव्यांग (अ.दि.) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 20 मिनट प्रति घंटे के

प्रतिपूरक समय सहित प्रलिपिकों और कौशल परीक्षा हेतु 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय सहित अनुच्छेद वाचकों की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

3.15 हाल ही में, आयोग ने विशिष्ट अनुरोध पर 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय और प्रलिपिक सुविधा उन अभ्यर्थियों को भी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है जो (40% या अधिक) चालन संबंधी दिव्यांगता से पीड़ित होते हैं, जहां अभ्यर्थी का मुख्य रूप से लिखने वाला हाथ उसके कार्य निष्पादन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है, बशर्ते कि इस प्रकार की दिव्यांगता का अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्र में उल्लेख किया गया हो।

3.16 आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त सावधानी बरती है कि दृ.दि. अभ्यर्थियों को परिमाणात्मक अभिरुचि और सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रश्नों का अलग सेट दिया जाए जिसमें मानचित्र, ग्राफ, सांख्यिकीय आंकड़े, आरेख, रेखा-चित्र नहीं होते हैं। दृ.दि. अभ्यर्थियों को रेखाचित्रों और आरेखों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं।

3.17 आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा-स्थल पर सरल, सुरक्षित और परेशानी-मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के सभी प्रयास करता है। इसे सुनिश्चित करने हेतु, आयोग दिव्यांगजनों को भूमितल पर समायोजित करने के लिए ठोस एवं वास्तविक प्रयास करता है, ताकि उन्हें उच्चत्तर तलों पर सीट लेने के लिए सीढ़ियां न चढ़ना पड़े। जहां ऐसी व्यवस्था संभव न हो, वहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिव्यांगजनों को कोई मुश्किल नहीं हो और उन्हें एलिवेटर/लिफ्ट और रैंप आदि प्रयोक्ता अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। यह व्यवस्था परीक्षा आरंभ करने से काफी पहले सुनिश्चित की जाती है। दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सहायता लेते हैं, उन्हें अलग तारीख पर विशिष्ट परीक्षा स्थल मुहैया कराया जाता है।

ग. आयोग की परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी

3.18 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने के लिए महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक विज्ञापन के प्रथम पृष्ठ पर एक शीर्षक विशेष रूप से शामिल किया जाता है, "सरकार एक ऐसा कार्य बल बनाने का प्रयास करती है, जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।" इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिलाओं के भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग की अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 42,92,441 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जो कि कुल आवेदकों का 35.71 प्रतिशत है।

घ. परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.19 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में असाधारण वृद्धि होने के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने का कार्य चुनौतीपूर्ण बन गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव सावधानियां बरती और

उपाय किए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i) परीक्षा केंद्रों का सावधानी पूर्वक चयन,

ii) अभ्यर्थियों का बायोमिट्रिक पंजीकरण,

iii) सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के अधीन कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन,

iv) हस्त मैटल डिटेक्टर (एच एच एम डी) का प्रयोग करके अभ्यर्थियों की संपूर्ण जांच,

v) बायोमीट्रिक पंजीकरण से जुड़े अभ्यर्थियों की याद्दच्छिक रूप से बैठने की व्यवस्था,

vi) अपेक्षाकृत अधिक पैनी और केंद्रित सतर्कता के लिए अभ्यर्थियों के संदेहास्पद समूह को अलग बैठाना,

vii) अधिकारियों की निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के रूप में नियुक्ति और फ्लाइंग स्क्वाड (उड़न दस्तों) के प्रयोग द्वारा औचक निरीक्षण सहित उच्च-स्तरीय अनुवीक्षण और निरीक्षण,

viii) निम्नलिखित तरीके से परीक्षा स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती हैः-

क) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त निजी व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षा स्थलों के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। व्यावसायिक सुरक्षा एजेन्सी द्वारा हस्तचालित मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके अभ्यर्थियों की शारीरिक जामा तलाशी तथा आन्तरिक पर्यवेक्षण का कार्य भी किया जाता है।

ख) बाह्य सुरक्षा तथा परीक्षा स्थलों के निकटवर्ती स्थान की सुरक्षा राज्य पुलिस कार्मिकों द्वारा मुहैआ करायी जाती है, ताकि किसी अनपेक्षित कानून और व्यवस्था की स्थिति से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटा जा सके।

ग) आयोग द्वारा संवेदनशील/अति-संवेदनशील के रूप में पहचान किए गए परीक्षा स्थलों की अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती करके सुरक्षा की जाती है, जो कि अभ्यर्थियों की जामा तलाशी भी लेते हैं।

ix) सेवा प्रदाता द्वारा द्रुत अनुक्रिया दलों की तैनाती।

x) परीक्षा स्थल पर ड्यूटी कर रहे सभी सुरक्षा कार्मिकों को अपने शरीर पर प्रदर्शित वैध पहचान-पत्र के साथ ड्रेस कोड का सख्तीपूर्वक पालन करना होता है, जिससे उनकी आसानी से पहचान की जा सके।

xi) परीक्षा के दौरान निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना जारी करना तथा परीक्षा के दौरान उसका सख्तीपूर्वक कार्यान्वयन करना।

xii) दस्तावेजों का सख्तीपूर्वक सत्यापन करना जिसमें दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों की अंगुलि-छाप ली जाती है तथा इनका कौशल परीक्षाओं, इत्यादि में अभ्यर्थियों की पहचान करने में उपयोग किया जाता है।

xiii) निरीक्षकों, निरीक्षण अधिकारियों (आई ओ एस) तथा अन्य परीक्षा पदाधिकारियों के लिए यथोचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।

xiv) कदाचारों में लिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर करना, दोषी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करना तथा उन्हें भावी परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

ड. न्यायालयी मामले

3.20 कर्मचारी चयन आयोग अनेक न्यायालयी मामलों का सामना भी करता है। दिनांक 31.03.2017 को आयोग द्वारा 2086 न्यायालयी मामलों और 10 विशेष अनुमति याचिकाओं के खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा था। यह देखा गया है कि किसी भी परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात् असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर न्यायालयी मामलों में वृद्धि हो जाती है। इन न्यायालयी मामलों पर आयोग द्वारा मुस्तैदीपूर्वक कार्रवाई की जाती है ताकि न्यायालयों को सही तथ्यात्मक और विधिक स्थिति की जानकारी दी जा सके तथा लंबित विधिक मामलों को न्यूनतम संभव समय में निपटाया जा सके। आयोग मुख्यालय तथा 09 क्षेत्रीय कार्यालयों के न्यायालयी मामलों की आयोग द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती है तथा सभी अपेक्षित कार्यों जैसे पैरा-वार टिप्पणियां दायर करना, अधिवक्ता को ब्रीफिंग देना तथा अन्य प्रतिवादी संगठनों के साथ समन्वयन करना, इत्यादि को शीघ्रता से किया जाता है।

च. सी पी जी आर ए एम एस के अन्तर्गत लोक शिकायतों का निवारण/निपटान

3.21 इस समय भारत सरकार की नोडल एजेन्सी अर्थात प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अधीन ऑन लाइन लोक शिकायतों को केन्द्रित रूप से मॉनीटर किया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग में अनुसंधान एवं विश्लेषण अनुभाग द्वारा लोक शिकायतों/परिवादों के निवारण/निपटान कार्य का समन्वयन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुरूप किया जाता है। ऑफ लाइन शिकायतों सहित इन शिकायतों की निगरानी आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है, जिसके लिए प्रत्येक शिकायत से संबंधित लिखित उत्तरों को समय पर भेजा जाता है। आयोग सुदृढ़ निगरानी तंत्र के जरिए यह सुनिश्चित करने का ठोस प्रयास करता है कि सभी सीपीजीआरएएम मामलों पर यथोचित प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की गयी है और 15 से 30 दिनों की अवधि के भीतर संतोषप्रद तरीके से उनका निपटान कर दिया गया है। आयोग शिकायतकर्ताओं को भेजे गए उत्तरों की गुणवत्ता को भी उचित महत्व देता है।

3.22 कर्मचारी चयन आयोग में संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी को लोक शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है तथा वे भी सभी शिकायतों/लोक शिकायत याचिकाओं/अभ्यावेदनों की गहनता से

मॉनीटर करते हैं। लोक शिकायत नोडल अधिकारी को एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी तथा एक सहायक अनुभाग अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी चयन आयोग में सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत प्राप्त 16,654 शिकायतों में से 16,510 लोक शिकायतों का निपटान किया गया। शेष 144 शिकायतों को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया गया।

छ. ऑनलाइन सूचना का अधिकार पॉर्टल

3.23 आयोग के मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों को प्राप्त करने तथा उनका निपटान करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन सूचना का अधिकार पॉर्टल के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। तदनुसार, अधिकांश सूचना का अधिकार आवेदनों/अपीलों की अब ऑनलाइन प्राप्ति तथा उन पर कर्रवाई भी ऑनलाइन की जा रही है। इस संयोजन से यह प्रक्रिया प्रभावी रूप से सुव्यवस्थित हो गई है जिसके परिणामस्वरूप कागजी कार्य की कमी और समय की यथेष्ट बचत के अलावा सूचना का अधिकार आवेदनों का निपटान तथा उत्तरों की सुपुर्दगी और अधिक प्रभावी रूप से तैयार हो पा रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आयोग मुख्यालय में कुल 13,934 सूचना का अधिकार आवेदन तथा 724 अपीलें प्राप्त हुई तथा इनका निर्धारित अवधि के भीतर त्वरित रूप से निपटान किया गया। इस प्रयास के मान्यता स्वरूप, भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कर्मचारी चयन आयोग को पुरस्कार की छः श्रेणियों में से दो श्रेणियों, अर्थात (I) सूचना का अधिकार आवेदनों के अंतिम उत्तर देने के लिए लिया गया औसत समय और (II) इस अवधि के दौरान सूचना का अधिकार आवेदनों के निपटान की गुणवत्ता के लिए उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। उक्त पुरस्कार माननीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री द्वारा आयोग के अध्यक्ष को दिनांक 17.03.2017 को प्रदान किए गए।

3.24 केन्द्रीय सूचना आयोग की चार तिमाही रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) में प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों और प्रथम अपीलों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः-

सारणी-3.3

क्र. सं.	तिमाही विवरणी	सूचना का अधिकार आवेदन	प्रथम अपीलें
1	पहली तिमाही (01.04.16 से 30.06.16 तक)	2323	122
2	दूसरी तिमाही (01.07.16 से 30.09.16 तक)	2498	104
3	तीसरी तिमाही (01.10.16 से 31.12.16 तक)	3418	169
4	चौथी तिमाही (01.01.17 से 31.03.17 तक)	5695	329
	योग	**13934**	**724**

अध्याय -IV

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन

4.1 आयोग, भारत सरकार की एक प्रमुख भर्ती एजेंसी के रूप में, अपने अधिदेशित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, अपनी परीक्षाओं को कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परिणामों की समय पर घोषणा और चयनित अभ्यर्थियों का प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों में शीघ्र नामांकन सुनिश्चित करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग ने सावधानीपूर्वक योजना और कुशल निष्पादन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि इसकी परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई थी और सफल अभ्यर्थियों के प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों में नामांकन करने के लिए समय पर परिणाम घोषित किए गए थे।

4.2 वर्ष 2016-17 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत करने वाले कुल 1,86,85,240 अभ्यर्थियों में से 1,85,84,358 अभ्यर्थियों ने अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 99,756 अभ्यर्थियों ने चयन पद परीक्षाओं के लिए तथा सीमित विभागीय प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1126 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था।

4.3 वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित और आयोजित अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं का विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

सारणी- 4.1

अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा 2016-17

क्रम सं	परीक्षा का नाम	परीक्षा तिथि	पंजीकृत अभ्यर्थी	उपस्थित भ्यर्थियों की संख्या
1	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015 पुनः परीक्षा केवल उत्तरी क्षेत्र में	06.08.2016	611	151
2	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015 पुनः परीक्षा केवल इलाहाबाद,भावनगर, दिल्ली तथा कोची में।	23.07.2016	881	112
3	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा (प्रश्नपत्र-I), 2016	19.06.2016	25298	7359

4	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (प्रश्नपत्र -I), 2016 (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) पुनः परीक्षा	04.06.2016 से 07.06.2016	(2015-16 में पंजीकृत) #	204051
5	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक,वैद्युत, गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा (प्रश्नपत्र –II), 2015	24.07.2016	6788	6267
6	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा 'घ' परीक्षा, 2016	31.07.2016	457680	212214
7	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2015	18.09.2016	60645	46201
8	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016 (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा)	27.08.2016 से 11.09.2016	3803748	1425234
9	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2016 (केवल जम्मू एवं कश्मीर में)	25.09.2016	17911	5616
10	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2016 (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा)	30.11.2016 से 02.12.2016	149319	128792
11	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के. औ. सु. बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (प्रश्नपत्र -II), 2016 (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा)	18.12.2016	12043	11115
12	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2016 पुनः परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा)	12.01.2017 तथा 13.01.2017	9571	7780
13	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा(टियर-III), 2016	19.03.2017	35914	33059
14	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2016	07.01.2017 से 08.02.2017	6406623	3055208

15	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक,वैद्युत, गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा (प्रश्नपत्र –I), 2016	01.03.2017 से 04.03.2017	622041	339055
16	मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2016 *	2017-18 में आयोजित की जानी है	6975285	**0**
	योग		**1,85,84,358**	**54,82,214**

 # वर्ष 2015-16 में पंजीकृत अभ्यर्थी और वर्ष 2016-2017 में आयोजित पुन: परीक्षा।

*** वर्ष 2016-17 में पंजीकृत अभ्यर्थी, वर्ष 2017-18 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा।**

क. 1.4.2016 से 31.3.2017 की अवधि के दौरान घोषित परिणाम

4.4 वर्ष 2016-17 के के दौरान , निम्नलिखित पांच (5) परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए: -

1. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2015

परिणाम घोषित करने की तिथि - 29.06.2016

सारणी-4.2

	अना	**अजा**	**अजजा**	**अपिव**	**भूपूसै***	**शा.दि***	**योग**
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	942147	440633	131904	856591	18748	41054	2371275
क.प्र.प./कौशल परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	7662	2544	1230	6611	1347	575	18047
अंतिम रूप से संस्तुत	**4313**	**1306**	**630**	**2262**	**451**	**267**	**8511**

सारणी-4.3

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,2015: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	609	146	6	568	59	93	**1329**
पू.क्षे.	331	147	14	174	54	38	**666**
के.क.क्षे.	103	17	11	45	45	3	**176**
म.प्र.क्षे.	75	21	3	51	7	13	**150**
पूर्वो.क्षे	11	6	11	12	1	0	**49**
उ.क्षे.	2389	732	546	1090	142	83	**4757**
पश्चि.क्षे.	379	78	5	51	22	8	**513**
द.क्षे.	284	102	26	202	57	19	**614**
प.क्षे.	132	57	8	69	64	10	**266**
योग	**4313**	**1306**	**630**	**2262**	**451**	**267**	**8511**

2 आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2015

परिणाम घोषित करने की तिथि - 30.11.2016

सारणी-4.4

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	147104	194385	59201	234778	1028	13504	635468
कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	10718	6399	2587	15064	242	1042	34768
अंतिम रूप से संस्तुत	**1061**	**330**	**182**	**768**	**2**	**72**	**2341**

सारणी-4.5

आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2015: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	215	40	2	266	0	24	**635468**
पू.क्षे.	61	13	4	48	1	4	**126**
के.क.क्षे.	2	0	0	0	0	0	**2**
म.प्र.क्षे.	53	4	1	20	0	0	**78**
पूर्वो.क्षे	0	0	8	1	0	0	**9**
उ.क्षे.	674	262	166	395	1	44	**1497**
पश्चि.क्षे.	30	8	1	24	0	0	**63**
द.क्षे.	16	2	0	13	0	0	**31**
प.क्षे.	10	1	0	1	0	0	**12**
योग	**1061**	**330**	**182**	**768**	**2**	**72**	**2341**

3. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा - 2016.

परिणाम घोषित करने की तिथि – 14/12/2016

सारणी-4.6

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	8685	6996	1665	7952	437	711	**25298**
कौशल परीक्षा /दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	313	178	85	500	122	79	**1076**
अंतिम रूप से संस्तुत	**127**	**47**	**26**	**134**	**23**	**22**	**334**

सारणी-4.7

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2016: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	47	8	0	47	4	5	**102**
पू.क्षे.	13	16	9	28	0	6	**66**
के.क.क्षे.	4	1	1	0	0	0	**6**
म.प्र.क्षे.	1	0	1	3	0	0	**4**
पूर्वो.क्षे	1	0	1	2	0	1	**4**
उ.क्षे.	38	17	10	30	10	6	**95**
पश्चि.क्षे.	2	1	0	2	1	1	**5**
द.क्षे.	8	2	1	9	4	2	**32**
प.क्षे.	13	2	4	13	4	1	**32**
योग	**127**	**47**	**26**	**134**	**23**	**22**	**334**

4. मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2015 (विशेष भर्ती अभियान)

परिणाम घोषित करने की तिथि - 08.06.2016.

सारणी-4.8

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	39336	26335	6249	58076	3	125515	**129996**
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	251	54	26	282	0	613	**613**
अंतिम रूप से संस्तुत	140	25	12	119	0	296	**296**

सारणी-4.9

मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2015 (विशेष भर्ती अभियान): क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	9	1	0	3	0	13	**13**
पू.क्षे.	7	2	0	5	0	14	**14**
के.क.क्षे.	5	2	2	6	0	15	**15**
म.प्र.क्षे.	4	1	0	6	0	11	**11**
पूर्वो.क्षे	5	0	1	2	0	8	**8**
उ.क्षे.	79	9	7	59	0	154	**154**
पश्चि.क्षे.	9	0	0	2	0	11	**11**
द.क्षे.	7	1	1	7	0	16	**16**
प.क्षे.	15	9	1	29	0	54	**54**
योग	**140**	**25**	**12**	**119**	**0**	**296**	**296**

5. के.स.पु.बल, रा.अ.अ, स.सु.बल में कांस्टेबल (सा.ड्यू.) तथा असम राइफल्स में राइफलमैंन परीक्षा, 2015

परिणाम घोषित करने की तिथि - 02.02.2017

सारणी-4.10

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	1609696	1382979	928748	2417740	3061	0	**6339163**
कौशल परीक्षा /दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	25730	25118	23669	70285	195	0	**144802**
अंतिम रूप से संस्तुत	14294	9909	6559	26252	58	0	**57014**

सारणी-4.11

के.स.पु.बल, रा.अ.अ, स.सु.बल में कांस्टेबल (सा.ड्यू.) तथा असम राइफल्स में राइफलमैंन परीक्षा, 2015: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	3515	2173	123	6227	24	0	**12038**
पू.क्षे.	3517	2571	1960	4485	0	0	**12533**
के.क.क्षे.	690	396	172	1337	0	0	**2595**
म.प्र.क्षे.	585	568	1090	1310	0	0	**3553**
पूर्वो.क्षे	1047	567	1535	2374	0	0	**5523**
उ.क्षे.	1448	917	340	2206	25	0	**4911**
पश्चि.क्षे.	1052	668	158	849	9	0	**2727**
द.क्षे.	803	1403	520	5025	0	0	**7751**
प.क्षे.	1637	646	661	2439	0	0	**5383**
योग	**14294**	**9909**	**6559**	**26252**	**58**	**0**	**57014**

*** भूपूसै तथा दिव्यांगजनों को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।**

ख. वर्ष के दौरान अधिसूचित सीमित विभागीय परीक्षाओं के विवरण निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:

सारणी-4.12

क्र. सं	परीक्षा का नाम	परीक्षा तिथि	पंजीकृत अभ्यर्थी	चयनित अभ्यर्थी
1	आशुलिपिक श्रेणी ग सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016	03.07.2016	214	26
2	उच्च श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016	03.12.2016	370	अभी तक घोषित नहीं किया गया है
3	अवर श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016	27.03.2016	542	115
	योग		**1126**	**141**

ग. वार्षिक टंकण परीक्षा

4.5 आयोग भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायकों / अवर श्रेणी लिपिकों (सीधे भर्ती से आए अवर श्रेणी लिपिकों को छोड़कर) आदि के लिए वेतनवृद्धि प्रदान करने और उसे संबंधित ग्रेड में स्थायी किए जाने के उद्देश्य से कंप्यूटर पर वार्षिक टंकण परीक्षा भी आयोजित करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित कंप्यूटर पर वार्षिक टंकण परीक्षा के लिए कुल 480 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 111 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था।

घ. वार्षिक आशुलिपि परीक्षा

4.6 आयोग आशुलिपिक श्रेणी `घ' विभागीय परीक्षाओं के लिए वार्षिक आशुलिपि परीक्षा आयोजित करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान वार्षिक आशुलिपि परीक्षा के लिए कुल 58 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 09 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था।

अध्याय-V

चयन पदों पर भर्ती

5.1 आयोग, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए चयन पदों पर भर्ती करता है। ये एकाकी पद आयोग द्वारा आयोजित किसी भी खुली प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है, इनमें रिक्तियों की संख्या सामान्यतः कम होती है तथा इनकी अनिवार्य योग्यता संबंधित पद (पदों) की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मैट्रिक्यूलेशन से स्नातकोत्तर तक भिन्न-भिन्न होती है।

5.2 चयन पदों पर भर्ती निम्नलिखित चरणों में की जाती है :-

i) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों से सिंगल विंडो प्रणाली के अन्तर्गत मांग प्राप्त करना।

ii) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय(कार्यालयों) की वेबसाइट पर तथा रोजगार समाचार पत्र में रिक्तियों की अधिसूचना जारी करना।

iii) आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं तथा भरे गए आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट-आउट को, संवीक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) को भेजना अपेक्षित होता है।

iv) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) द्वारा स्वीकार किए गए आवेदनों की संवीक्षा करना।

v) अनिवार्य योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की 1:50 के अनुपात में शार्टलिस्टिंग करना।

vi) असफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) की वेबसाइट पर डाली जाती है जिससे कि अभ्यर्थी अपने आवेदनों की अस्वीकार्यता के प्रति अभ्यावेदन, यदि चाहें तो दे सकते हैं।

vii) प्राप्तांकों की प्रतिशतता के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से चयन तथा उसके बाद जहां आवश्यक योग्यता में निर्धारित किया गया है, कौशल परीक्षा जैसे टंकण/डाटा एंट्री/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा लेना।

viii) लिखित परीक्षा के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करना।

ix) चयनित अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों में नामित करना।

5.3 दिनांक 01.01.2016 से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में विज्ञापित पदों, जिनमें साक्षात्कारों के लिए विशेष रूप से प्रावधान था, को छोड़कर दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार के अनुदेशों का विधिवत अनुपालन करते हुए चयन पदों के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किए गए।

5.4 वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चयन पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 384 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सारणी-5.1

समूह 'ख' चयन पद

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान विज्ञापित रिक्तियां	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	रिक्तियों की संख्या जिनके लिए वर्ष के दौरान लिखित परीक्षा आयोजित की गई	लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या		
					पुरुष	महिला	योग
म.क्षे.	161	9300	33	745	24	13	**37**
पूर्वी.क्षे.	189	14189	110	2416	28	7	**35**
के.क.क्षे.	39	2874	12	144	42	11	**53**
म.प्र.क्षे.	1	50	9	50	6	2	**8**
पूर्वो.क्षे.	8	250	8	103	14	1	**15**
उ.क्षे.	230	14504	35	821	71	32	**103**
पश्चिमो.क्षे.	154	16922	40	1256	33	7	**40**
द.क्षे.	17	1204	14	224	8	1	**9**
प.क्षे.	18	2006	12	167	7	3	**10**
योग	**817**	**61299**	**273**	**5926**	**233**	**77**	**310**

सारणी-5.2

समूह 'ग' चयन पद

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान विज्ञापित रिक्तियां	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	रिक्तियों की संख्या जिनके लिए वर्ष के दौरान लिखित परीक्षा आयोजित की गई	लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या		
					पुरुष	महिला	योग
म.क्षे.	22	2513	16	327	6	1	7
पूर्वी.क्षे.	90	26363	113	4159	25	6	31
के.क.क्षे.	10	1085	44	344	13	4	17
म.प्र.क्षे.	7	199	0	0	0	0	0
पूर्वो.क्षे.	4	120	3	25	0	0	0
उ.क्षे.	17	2091	3	37	1	0	1
पश्चिमो.क्षे.	16	5026	6	82	7	0	7
द.क्षे.	3	496	6	135	2	3	5
प.क्षे.	7	564	7	174	5	1	6
योग	**176**	**38457**	**198**	**5283**	**59**	**15**	**74**

अध्याय-VI

परीक्षा केन्द्र

6.1 आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण, पिछले कुछ वर्षों के दौरान परीक्षा केन्द्रों (शहरों) की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आयोग ने, जुलाई 1976 में जब कार्य करना आरम्भ किया था, तब केवल 09 परीक्षा केन्द्र थे। तब से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। परीक्षा की परम्परागत पद्धति अर्थात् ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ.एम.आर.) पद्धति से कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति (क.आ.प.) में परिवर्तन होने के कारण मूलभूत सुविधाओं जैसे परीक्षा स्थलों/केन्द्रों पर कम्प्यूटर नॉड्स की उपलब्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। इस कारण परीक्षा केन्द्रों को सरकारी विद्यालयों से अच्छी तरह से साज-सामान युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं तथा तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में अन्तरित करना अनिवार्य हो गया है।

6.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा देश भर के 98 परीक्षा केन्द्रों (शहरों) में, 409 परीक्षा स्थलों पर, कम्प्यूटर आधारित पद्धति में, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2016 का आयोजन किया गया।

6.3 आयोग सम्पूर्ण देश में विभिन्न केन्द्रों में अपने परीक्षाओं का आयोजन करता है । इन केन्द्रों का चयन बहुत से तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

i) आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप कम्प्यूटर नॉड्स, इंटरनेट सुविधाओं तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता।

ii) सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों में पहुँचने की सुगमता।

iii) परीक्षा स्थल पर सुरक्षा प्रबंध करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आश्वासन।

iv) मूल सुविधाओं जैसे पेय जल और स्वच्छता का प्रबंध, लिफ्टों का प्रबंध तथा परीक्षा स्थलों में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता ताकि अभ्यर्थी अपने निजी साज-सामान, इत्यादि को वहां जमा करा सकें।

v) संबंधित शहर के प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र से परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचने की सुगमता।

vi) महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा केंद्रों की उपयुक्तता जिससे ऐसे अभ्यर्थियों को अधिक दूर न जाना पड़े और असुविधा भी न हो।

vii) भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण न करना।

viii) परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का चयन करते समय उनके पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड का ध्यान रखा जाता है।

6.4 कुछ मामलों में, परीक्षाओं के वरीय केन्द्रों/स्थलों पर कम्प्यूटर नॉड्स की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के कारण, अभ्यर्थियों को अन्य स्थानों के लिए स्थानान्तरित किया जाता है। कुछ अवसरों पर, परीक्षा की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों को उनकी पसंद से इतर अन्य केन्द्रों/स्थलों पर भी आबंटित किया जाता है।

6.5 परीक्षा केन्द्रों व स्थलों(कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति में संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, 2016 के आधार पर) की क्षेत्र-वार व उप-क्षेत्रवार संख्या निम्नलिखित है:-

सारणी- 6.1

1. मध्य क्षेत्र

क्रम संख्या	परीक्षा केन्द्र	स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)
1	**आगरा**	10
2	**इलाहाबाद**	12
3	**बरेली**	6
4	**गोरखपुर**	6
5	**कानपुर**	8
6	**लखनऊ**	16
7	**मेरठ**	5
8	**पटना**	22
9	**वाराणसी**	11
	योग	**96**

सारणी - 6.2

2. पूर्वी क्षेत्र

क्रम संख्या	परीक्षा केन्द्र	स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)
1	भुवनेश्वर	8
2	बर्धमान	1
3	दुर्गापुर	1
4	जमशेद पुर	4

5	कोलकाता	13
6	मालदा	1
7	पोर्ट ब्लेयर	1
8	रांची	8
9	राऊर केला	3
10	सेबल पुर	2
11	सिलीगुड़ी	4
	योग	**46**

सारणी- 6.3

3. कर्नाटक और केरल क्षेत्र

क्रम संख्या	**परीक्षा केन्द्र**	**स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)**
1	बैंगलुरू	5
2	गुलबर्गा	1
3	कोची	8
4	कोझीकोड	3
5	मैंगलोर	1
6	मैसूर	2
7	तिरुवनंतपुरम	7
8	त्रिसूर	7
	योग	**34**

सारणी 6.4

4. मध्य प्रदेश क्षेत्र

क्रम संख्या	**परीक्षा केन्द्र**	**स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)**
1	भोपाल	9
2	विलासपुर	1

3	दुर्गापुर	2
4	इंदौर	5
5	जबलपुर	5
6	रायपुर	4
	योग	**26**

सारणी 6.5

5. उत्तरी क्षेत्र

क्रम संख्या	परीक्षा केन्द्र	स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)
1	ऋषिकेश	1
2	हरिद्वार	1
3	रुड़की	6
4	देहरादून	4
5	दिल्ली	29
6	अलवर	3
7	अजमेर	4
8	उदयपुर	1
9	कोटा	5
10	बीकानेर	2
11	जोधपुर	5
12	जयपुर	14
13	श्रीगंगानगर	3
	योग	**78**

सारणी -6.6

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र

क्रम संख्या	**परीक्षा केन्द्र**	**स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)**
1	अगरतला	1
2	आइज़ॉल	1
3	चुराचांदपुर	1
4	डिब्रूगढ़	1
5	दीमापुर	1
6	गुवाहटी	6
7	इंफाल	1
8	ईटानगर	2
9	जोरहाट	3
10	सेनापति	1
11	शिलांग	1
12	सिलचर	1
	योग	**20**

सारणी -6.7

7. पश्चिमोत्तर क्षेत्र

क्रम संख्या	**परीक्षा केन्द्र**	**स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)**
1	बनुर	1
2	अमृतसर	1
3	जलंधर	2
4	पटियाला	3
5	मोहाली	5
6	मंडी गोविन्दगढ़	1

7	श्रीनगर	2
8	लेह	1
9	जम्मू	2
10	शिमला	1
11	हमीरपुर	1
	योग	**20**

सारणी -6.8

8. दक्षिणी क्षेत्र

क्रम संख्या	**परीक्षा केन्द्र**	**स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)**
1	चेन्नै	2
2	त्रिची	2
3	तिरुनेलवेली	2
4	कोयम्बटूर	1
5	मदुरै	2
6	विजय वाड़ा	5
7	राजामुंदरी	3
8	विशाखापत्तनम	7
9	तिरुपति	3
10	अनंतपुर	2
11	कडापा	2
12	कुर्नूल	2
13	पुद्दुचेरी	2
14	वारंगल	3

15	करीमनगर	1
16	हैदराबाद	7
	योग	**46**

सारणी -6.9

9. पश्चिमी क्षेत्र

क्रम संख्या	परीक्षा केन्द्र	स्थलों की संख्या (प्रातः / सायं शिफ्ट)
1	अहमदाबाद	7
2	बड़ौदा	1
3	सूरत	2
4	मुंबई	3
5	ठाने	2
6	औरंगाबाद	4
7	कोल्हापुर	2
8	नासिक	3
9	पुणे	9
10	अमरावती	4
11	नागपुर	5
12	वर्णा	1
	योग	**43**

अध्याय-VII

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

7.1 आयोग द्वारा आयोजित परिक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की अधिक से अधिक भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, आयोग महिला अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लेता है। आयोग यह सुनिश्चित करने का भी ठोस प्रयास करता है कि महिला अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान के आस-पास उनकी पसंद का परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जाए।

7.2 रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कुल 42,92,441 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिसे निम्नलिखित सारणी मे देखा जा सकता है:-

सारणी-7.1

01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों की संख्या :

क्रमांक	परीक्षा का नाम	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या		
		कुल	महिला	प्रतिशतता
1	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2016	25298	14007	55.37
2	दिल्ली पुलिस, के.स.बलों में उप-निरीक्षक तथा के.औ.सु.बलों में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016	704299	121647	17.27
3	आशुलिपिक श्रेणी ग और घ परीक्षा, 2016	457680	167254	36.54
4	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016	3803748	1622495	42.66
5	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय (सी.एच.एस.एल.) परीक्षा, 2016	6406623	2272972	35.48
6	कनिष्ठ अभियंता (सिविल/यांत्रिक/वैद्युत/गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2016	622041	94066	15.12
	योग	**1,20,19,689**	**42,92,441**	**35.71**

7.3 जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 1,20,19,689 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 42,92,441 महिला अभ्यर्थी थीं। यह प्रतिशतता समूचे रूप में 35.71 है।

7.4 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक , कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2016 में महिला अभ्यर्थियों की उच्चतम भागीदारी देखी गई। उक्त परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उनमें 55.37 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी थीं। इसके बाद इनकी अधिकतम संख्या संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016 में देखी गई, जिसमें महिला अभ्यर्थी 42.66 प्रतिशत थी। महिला अभ्यर्थियों की सबसे कम भागीदारी कनिष्ठ अभियंता (सिविल/यांत्रिक/वैद्युत/ गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2016 में देखी गई जिसमें उनकी संख्या केवल 15.12% थी।

7.5 वर्ष के दौरान घोषित विभिन्न परीक्षा परिणामों में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गई है।

सारणी-7.2

1.04.2016 से 31.3.2017 की अवधि के दौरान घोषित अंतिम परिणामों में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर:

क्रमांक	परीक्षा का नाम	कुल अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		योग	महिला	प्रतिशत
1	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2015	8511	991	11.64
2	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एवं घ परीक्षा, 2015	2341	710	30.33
3	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2016	334	96	28.74
4	मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2015 (विशेष भर्ती अभियान)	296	22	7.43
5	के.स.पु.बलों, एवं रा.अ.अ. एवं स.सु.बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफल मैन परीक्षा, 2015	57014	5336	9.36
	योग	**68496**	**7155**	**10.45**

7.6 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में कम थी। आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2015 में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर उच्चतम 30.33% थी, इसके पश्चात कनिष्ठ हिंदी अनुवादक , कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2016 में सफलता दर 28.74% थी। महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर सबसे कम मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टॉफ परीक्षा, 2015 (विशेष भर्ती अभियान) में 7.43 प्रतिशत थी।

अध्याय- VIII

आयोग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

क. साक्षात्कार

8.1 दिनांक 01.01.2016 से, आयोग ने भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप समूह 'ख' (गैर- राजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित करना बंद कर दिया।

8.2 तथापि, जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार के लिए प्रावधान था, और जिनके लिए 01.01.2016 से पहले ही विज्ञापन जारी किए गए थे, और साक्षात्कार आयोजित करने के न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन में आयोग को 01.01.2016 के बाद भी (प्रत्येक मामले को देखते हुए) साक्षात्कार आयोजित करने पड़े।

8.3 संबंधित उम्मीदवारों की सुविधा के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी, ये साक्षात्कार विकेन्द्रीकृत और विभिन्न क्षेत्रों / उप-क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे।

8.4 वर्ष 2016-17 के दौरान, चयन पदों के लिए कुल 32 साक्षात्कार बोर्डों का गठन किया गया जिसमें साक्षात्कार के लिए 934 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 04 साक्षात्कार बोर्ड गठित किए गए जिसमें 06 अभ्यर्थियों को बुलाया गया।

8.5 क्षेत्रवार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं: -

सारणी-8.1

क्षेत्र	चयन पद		अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा	
	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी	गठित साक्षात्कार बोर्डों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी	गठित साक्षात्कार बोर्डों की संख्या
म.क्षे.	120	07	02	01
उ.क्षे.	814	25	04	03
योग	**934**	**32**	**06**	**04**

ख. कौशल परीक्षा

8.6 आयोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा आयोजित करता है।आयोग ने दिनांक 1.4.2010 से कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा की रूप रेखा को अपनाया है। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (क.प्र.प)/डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डा.ए.कौ.प) में बैठने के लिए कुल 1,57,015 अभ्यर्थी अर्हक थे। नीचे दी गई सारणी में आयोग की विभिन्न

परीक्षाओं में कौशल परीक्षा / क.प्र.प / डा.ए.कौ.प में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का क्षेत्रवार और उप क्षेत्रीयवार विवरण दर्शाया गया है: -

सारणी-8.2

क्षेत्र	कौशल परीक्षा/क.प्र.प/डा.ए.कौ.प. में बैठने के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या				योग
	सं.स्ना.स्त.प, 2016	उ.मा.स्त.प, 2015	अशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा 'घ' परीक्षा, 2015	अशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा 'घ' परीक्षा, 2016	
म.क्षे	6079	25507	10071	5003	**46660**
पू.क्षे.	2953	8977	2951	1517	**16398**
केकक्षे	991	1637	868	564	**4060**
मप्रक्षे	799	1925	1787	780	**5291**
पूर्वोत्तर क्षे.	240	442	540	237	**1459**
उ.क्षे	17810	22797	12328	7774	**60709**
पश्चि.क्षे.	1846	1703	959	436	**4944**
द.क्षे	2812	3820	4322	2148	**13102**
प.क्षे	1559	1465	942	426	**4392**
योग	**35089**	**68273**	**34768**	**18885**	**157015**

ग. शारीरिक मानदंड परीक्षा (शा.मा.प) / शारीरिक दक्षता परीक्षा (शा.द.प) /विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प)/संशोधित चिकित्सा परीक्षा(सं.चि.प.)

8.7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के पदों के लिए शारीरिक मानदंड परीक्षा,शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा और संशोधित चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य चरण है। शा.मा.प / शा.द.प और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा और संशोधित चिकित्सा परीक्षा का वास्तविक आयोजन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जाता है, जबकि आयोग अभ्यर्थियों के डेटा का रखरखाब करता है, आवश्यकतानुसार बलों को आवश्यक सलाह प्रदान करता है और इन परीक्षाओं के निर्बाध आयोजन के लिए समन्वय करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान नीचे दिए गए विवरणानुसार 13,10,744 अभ्यर्थियों ने के.स.पु.ब, रा.अ.अ तथा स.सु.बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमेन परीक्षा, 2015 के लिए शा.मा.प / शा.द.प / वि.चि.प. में भाग लिया और 37, 9 24 अभ्यर्थियों ने दिल्ली पुलिस, के.स.पु.बल में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016 के लिए शा.मा.प / शा.द.प /वि.चि.प. और संशोधित चिकित्सा परीक्षा में भाग लिया :

सारणी-8.3

गतिविधि	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रा.अ.अ. एवं स.सु.ब. में कांस्टेबल (सा.ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफल मैन (सा. ड्यूटी) परीक्षा, 2015	दिल्ली पुलिस, के.स.पु. बलों में उप-निरीक्षक तथा के.औ.सु.बलों में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016
शा.मा.प./शा.द.प	1165942	28133
वि.चि.प./सं.चि.प.	144802	9791
योग	**1310744**	**37924**

अध्याय - IX

सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

9.1 आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं।

क. कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और तंत्र

9.2 आयोग में उप निदेशक (रा.भा.) के प्रभार में पूर्ण हिन्दी अनुभाग है जिसमें एक सहायक निदेशक (रा.भा.) तथा सहायक स्टॉफ है। यह अनुभाग सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी कर रहा है। यह अनुभाग कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण भी करता है।

ख. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.3 आयोग में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए संगत नियमों के तहत कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों की सूचना सभी संबंधितों को दी जाती हैं तथा उन पर तदनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ग. हिंदी में पत्राचार

9.4 आयोग ने क, ख और ग क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और अभ्यर्थियों के साथ हिंदी में पत्राचार करने के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप , हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत काफी बढ़ा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत उल्लिखित दस्तावेजों जैसे संकल्प, अधिसूचनाएं, नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, नियम और विनियम इत्यादि द्विभाषी जारी किए गए हैं। परीक्षाओं की सभी विज्ञप्तियां हिंदी और अंग्रेजी(द्विभाषी) में भी जारी की जाती हैं।आयोग के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट भी अंग्रेजी और हिंदी में प्रदर्शित की जाती है।

घ. हिंदी में प्रशिक्षण

9.5 वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग के 159 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 147 अधिकारी / कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणताप्राप्त / कार्यसाधक ज्ञान है। आयोग के 12 आशुलिपिकों में से 10 आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 02 आशुलिपिकों को अभी हिंदी में प्रशिक्षित किया जाना है।

ड़. हिंदी पखवाड़ा और प्रोत्साहन योजनाएं

9.6 आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने

और अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए 16 सितम्बर 2016 से 30 सितंबर, 2016 तक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 06 प्रतियोगिताओं जैसे टंकण परीक्षा, हिंदी कहानी लेखन , टिप्पण तथा प्रारूप, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी कविता पाठ और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 51 प्रतिभागी थे जिनमें 30 प्रतिभागियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कारों के रूप में नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।अध्यक्ष, कचआ ने समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के लिए 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के लिए राजभाषा शील्ड क्रमशः उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू को प्रदान की गई।

9.7 दिनांक 27 सितंबर, 2016 को 'यूनिकोड तथा आईटी टूल्स' विषय पर एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला में सत्रह प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

9.8 आयोग में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में हिन्दी में मूल रूप से टिप्पण / प्ररूपण करने के लिए नकद पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान हिंदी श्रुतलेख तथा अपना सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने से संबंधित विभिन्न योजना के तहत पांच कार्मिकों को नकद पुरस्कार दिए गए।

च. राजभाषा निरीक्षण

9.9 दिनांक 2 सितंबर, 2016 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली के माध्यम से संसदीय समिति के सदस्यों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) का मौखिक साक्ष्य किया गया।

9.10 राजभाषा नीति और कार्यक्रम का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयोग के उप क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चि.क्षे.), चंडीगढ़ और क्षेत्रीय कार्यालय (पू.क्षे), कोलकाता का निरीक्षण किया गया और इसके अतिरिक्त इस अवधि के दरान आयोग के तीन अनुभागों जैसे नीति एवं योजना-II, गोपनीय- I / 1 और गोपनीय- I / 2 का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

9.11 आयोग (मु.) तथा आयोग के क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा के लिए यूनिकोड द्वारा समर्थित मंगल फ़ॉन्ट का स्थापन किया गया है।

छ. सम्मान तथा पुरस्कार

9.12 एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में, आयोग द्वारा हिन्दी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2016-17 के लिए संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की श्रेणी के अंतर्गत 'राजभाषा रनिंग शील्ड' से सम्मानित किया गया है।

अध्याय - X

पुरस्कार एवं सम्मान

10.1 कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (का.एवं प्र.वि) द्वारा प्रारंभ किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर दो श्रेणियों के अंतर्गत 'उत्कृष्टता के प्रमाणपत्र' प्रदान किए गए है। आयोग को उक्त पुरस्कार दिनांक 17.3.2017 को कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा प्रदान किए गए थे। 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए आयोग को जिन दो श्रेणियों के अधीन उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए वे थे :

(i) आर टी आई अनुरोधों का अंतिम उत्तर देने के लिए लिया गया औसतन समय, और

(ii) आरटीआई अनुरोधों के निपटान की गुणवत्ता।

10.2 वर्ष 2016-17 के दौरान, आयोग (मुख्यालय) में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन 13,934 आरटीआई आवेदन और 724 आरटीआई अपीलें प्राप्त की गई। इन आरटीआई आवेदनों और अपीलों का निर्धारित समय अवधि के भीतर, अभ्यर्थियों को दिए गए जवाब की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान देते हुए निवारण और निपटान किया गया।

10.3 कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2016-17 के लिए हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों की श्रेणी के तहत 'राजभाषा रनिंग शील्ड' से सम्मानित किया गया ।

10.4 आयोग ने देश भर में 98 शहरों में स्थित 409 परीक्षा केन्द्रों के 76 बैचों में 64.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए फरवरी, 2017 में संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2016 का कम्प्यूटर आधारित पद्धति में सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कोएस एज कंसल्टिंग, गुरुग्राम द्वारा वर्ष 2017 के लिए "जैम्स ऑफ डिजिटल इंडिया" पुरस्कार भी प्राप्त किया था।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-क

कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले

संकल्प का मूलपाठ

संख्या 46/1 (एस)/74.स्था. (ख)

भारत सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04-11-1975

सकंल्प

कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने "अधीनस्थ सेवा आयोग की स्थापना" करने का निर्णय लिया है।

2. अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन

यह आयोग कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) का एक संलग्न कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे। आयोग को उतने सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

3. कार्य

अधीनस्थ सेवा आयोग भारत सरकार के विभागों में और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है। आयोग अन्य कार्यों के साथ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती के लिए जब कभी अपेक्षित हो परीक्षाएं आयोजित करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो वास्तविक भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाए ताकि विभिन्न क्षेत्र से योग्य अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में उत्पन्न रिक्तियों में आमेलन किया जा सके। जहां तक संभव होगा परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और सफल उम्मीदवारों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

आयोग विशेष रूप से

1. निम्नलिखित के संबंध में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती हेतु लिपिक श्रेणी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) श्रेणी-IV

(ii) रेलवे बोर्ड, सचिवालय लिपिकीय सेवा-श्रेणी-II

(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (-)अवर श्रेणी ग्रेड

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा (-)अवर श्रेणी ग्रेड

(v) संसदीय कार्य विभाग, दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(vi) महानिदेशालय, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(vii) भारत सरकार के अन्य ऐसे विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में शामिल नहीं हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी-III में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।

3. निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करेगा।

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए।

(ii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए।

(iii) केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की श्रेणी- III से श्रेणी-II में पदोन्नति के लिए।

4. अंग्रेजी तथा हिन्दी में तिमाही तथा मासिक टंकण परीक्षा का आयोजन करेगा।

5. भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभाग की सलाह पर श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजना तैयार करेगा।

6. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधीनस्थ सेवा और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। गैर तकनीकी श्रेणी-III के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।

अधीनस्थ सेवा शब्द में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वीकृत श्रेणी -III के वे सभी पद शामिल हैं, जिनकी भर्ती अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है, परंतु रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार का कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पद इसमें शामिल नहीं होंगे।

तथापि, अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा भर्ती से संबंधित कार्य को सुगमता से संभालने की सुविधा का ध्यान में रखते

हुए, पहले चरण में आयोग सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान के परीक्षा स्कंध के वर्तमान कार्य का भार संभालेगा। दूसरे चरण में, आयोग दिल्ली में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों और विभागों में श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों की भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पद शामिल नहीं होंगे जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और महालेखाकार के कार्यालय और औद्योगिक स्थापनाओं में स्टाफ की भर्ती से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से की जाती है। इसके बाद के चरणों में आयोग दिल्ली से बाहर स्थित अधीनस्थ और अन्य कार्यालय में श्रेणी-III के गैर-तकनीकी पदों की भर्ती संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से करेगा, परंतु इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग द्वारा की जाती है और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है।

4. अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्य एवं जिम्मेदारियां

अध्यक्षः

कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगाः

(1) विभागों से श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों की संख्या के बारे में पता लगाना जिसके लिए समय-समय पर भर्ती की जानी है।

(2) विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदनों को आमंत्रित करना।

(3) विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदनों की संवीक्षा करना।

(4) प्रतियोगी परीक्षाओं अथवा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करना।

(5) चयनित अभ्यर्थियों के नामों को संबंधित विभाग को भेजना।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि संस्तुत करने में विभाग अनु.जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भर्ती के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ होंगे।

(7) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए नियुक्तियों का रिकॉर्ड रखना।

(8) कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्तुत करना।

(9) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

सदस्यः

सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे

(1) जहां कहीं आवश्यक हो, परीक्षाओं और अभ्यर्थियों से साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगें।

(2) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

5. शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधीनस्थ सेवा आयोग का अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' तथा "कार्यालय अध्यक्ष" के सचिव की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

6. कार्यालय की अवस्थिति

अधीनस्थ सेवा आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय बाम्बे, कोलकाता, मद्रास तथा इलाहाबाद जैसे अन्य स्थानों पर जहां वह आवश्यक समझता है खोले जा सकते हैं।

7. आयोग की स्थापना करने और आयोग की कार्य संचालन पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि आयोग, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क लगा करके परीक्षाओं को भलीभांति आयोजित करने के उद्देश्य से निधियां एकत्र करने का अधिकार है। ऐसे परीक्षा शुल्क का ब्यौरा भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को दी जाए तथा यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ताक्षर

ह./-

(पी.एस. महादेवन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दिनांक-04-11-1975

सं-46/1(एस)/74-स्था(ख)

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र

3. प्रधानमंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा, राज्य सभा सचिवालय/ उच्चतम न्यायालय /संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षा/ अ.जा./अ.ज.जा. आयुक्त/भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त/सभी आंचलिक परिषद/चुनाव आयोग/सभी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबंध/अधीनस्थ कार्यालय

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ए. आर स्कंध के सीएस-I/सीएस-II/आईईएस/एवीडी-I/एवीडी-II/एवीडी-III/एवीडी-IV/एआईएसआई/एड-I अनुभाग

6. निदेशक (परीक्षा स्कंध) आई. एस.टी.सी.

हस्ताक्षर
ह./-
(आर.सी.गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :

i) 26.9.1977 से अधीनस्थ सेवा आयोग का कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

ii) जो क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी थे, उन्हें परीक्षा नियंत्रक कहा जाता था। उनको बाद में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया।

iii) मूल संशोधन सं. 46/1-(एस)) 74-स्था. (ख) दिनांक 04.11.1975 को अब तक छः बार संशोधित किया गया है।

(क) संकल्प संख्या 24012/42/78-स्था. (ख) दिनांक 17.3.79

(ख) संकल्प संख्या 24012/31/85-स्था. (ख) दिनांक 7.9.89

(ग) संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था. (ख) दिनांक 21.5.1999

(घ) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था. (ख) दिनांक 13.11.2003

(ड.) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था.(ख) दिनांक 29.9.2005

(च) संकल्प संख्या 39018/01/1998-स्था.(ख) खंड-।। दिनांक 14.01.2011

सं-39018/1/98-स्था।(ख)

भारत सरकार
कार्मिक , लोक एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

1. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय-17 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यभार में कमी करने की सिफारिश की है जिससे आयोग ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दे सके और इस संदर्भ में कतिपय विशेष सुझाव दिए हैं। इससे पूर्व गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज पर 1994 में प्रस्तुत अपनी बीसवी रिपोर्ट में सरकार से कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके ताकि उनका कार्यभार कम हो सके। विगत समय में आयोग ने भी सरकार पर संगत भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु दबाव डाला था ताकि समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से इतर अभिकरणों द्वारा की जा सके।

2. इस परिप्रेक्ष्य में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 के उपबंधों एवं अन्य संगत आदेशों की समीक्षा की गयी ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके। ऐसी समीक्षा के आधार पर, सक्षम, प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया किः

   (क) ऐसी समूह 'ख' सेवा या पदों पर सीधी भर्ती करते समय, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा10,500/- रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे पदों पर सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।

   (ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 'क' और 'ख' सेवा या पदों के लिए सीधे भर्ती किए गए किसी व्यक्ति समूह 'क' या समूह 'ख' सेवा या समूह पद पर मूल नियुक्ति या स्थायीकरण हेतु विभागीय-प्रोन्नति समिति के कार्यवृत की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी।

   (ग) समूह 'क' सेवा या पद वाले किसी अधिकारी की चयन-सह-वरिष्ठता पर किसी समूह 'क' सेवा या पद पर पदोन्नति करते समय, जिसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 16,500/-रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, समूह 'ख' अधिकारी समूह 'क' के निम्नतम पद पर पदोन्नत करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

3. उपर्युक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भर्ती नियमों के संगत उपबंधों में संशोधन करने हेतु निस्तृत (अम्ब्रेला) अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ संलग्न है। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 एवं कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को निर्धारित करने वाले दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प के संशोधन भी साथ-साथ जारी किए जा रहे हैं।

4. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संदर्भ में इसे भारत के नियंत्रक सेवा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर/-

निदेशक

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं. 39018/1/98-स्था.(ख)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

संकल्प

सं. 39018/1/98-स्था.(ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठन किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से समूह 'ख' के सभी पदों पर भर्ती संबंधी कामकाज अपने हाथ में ले लेगा जिनके वेतनमान अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो। तदनुसार, राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 1999 से कर्मचारी चयन आयोग के गठन और कार्य निम्नानुसार होंगेः-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

(i) भारत सरकार के पूववर्ती कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) का अधिक्रमण करते हुए और अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातों जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(ii) आयोग को उतने सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

2. कार्य

(1) कर्मचारी चयन आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख'

के उन सभी पदों, जिनके वेतनमानों का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, और (ii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में गैर-तकनीकी समूह 'ग' के उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर भर्ती करेगा।

(ख) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाएं और/अथवा जब कभी अपेक्षित हों, साक्षात्कार आयोजित करेगा। जहां तक संभव होगा, परीक्षाएं विभिन्न केद्रों पर आयोजित की जाएंगी और सफल उम्मीदवारों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

आयोग विशेषतः

(क) निम्नलिखित की भर्ती के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करेगाः-

(i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' आशुलिपिक के पदों और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बार्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में तथा उपर्युक्त सेवाओं में भाग ले रहे भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्य विभागों में आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती।

(iii) भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों समेत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में सहायकों के पदों पर भर्ती।

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न समाहर्त्तालयों (कलेक्टरेटों) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक, आयकर आयुक्तों के विभिन्न प्रभारों के अन्तर्गत आयकर निरीक्षक, विभिन्न सीमा शुल्क, कार्यालयों में निवारक अधिकारी और परीक्षक, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी, दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाओं के ग्रेड-।। पदों पर भर्ती।

(v) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती

(vi) भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अन्य लेखा विभागों के अन्तर्गत प्रभागीय, लेखाकार, लेखा- परीक्षक और लेखाकार तथा भारत सरकार के संबद्ध और कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर भर्ती।

(ख) निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित करेगाः-

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में समूह 'घ' के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा(ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' आशुलिपिक से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।

(ग) अंग्रेजी एवं हिन्दी में आवधिक टंकण परीक्षण का संचालन।

(घ) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके समूह 'ग' के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजनाएं तैयार करना।

(ड) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो,तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ग' के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट परीक्षाएं/चयन संचालित करना।

(च) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व

(क) अध्यक्ष

अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रधान होने के नाते निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगेः

(1) समूह 'ख' के पदों जिनका अधिकतम वेतनमान 10,500/- रुपये से कम हो तथा समूह 'ग' के सभी गैर-तकनीकी पद जिन पर भर्ती की जानी है, की रिक्तियां जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, की संख्या के बारे में विभागों से पता लगाना, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना, सूचित की गई रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों को अनुशंसित करना और की गई नियुक्ति का रिकार्ड रखना।

(2) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(3) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

सदस्य:

सदस्य द्वारा:

1) जहां कहीं आवश्यक हो अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता की जाएगी।

2) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन किया जाएगा जो उन्हें अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन:

कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' और सचिव 'कार्यालयाध्यक्ष' के रूप में सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

5. कार्यालय का स्थान

कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। वर्तमान में कार्यरत आयोग के क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान परिशिष्ट-। में दिया गया है। आयोग ऐसे अन्य स्थानों, जहां वह आवश्यक समझे, पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से और भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।

6. आयोग के किसी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने और आयोग के कामकाज में होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, आयोग को अधिकार है कि वह विभिन्न परीक्षाओं/चयन के आयोजनों के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क एकत्रित करे। आयोग द्वारा भारत सरकार के परामर्श से ऐसे शुल्क के संबंध में ब्यौरा निर्धारित किया जाएगा।

(हस्ताक्षर/-)

श्रीमती भवानी त्यागराजन

निदेशक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को दी जाए तथा यह भी संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(हस्ताक्षर/-)

निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी , रिंग रोड,

नई दिल्ली

सं. 39018/1/98-स्था.(ख)

नई दिल्ली 21मई, 1999

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/ अ.जा./अ.ज.जा. आयुक्त/भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त/सभी आंचलिक परिषद/चुनाव आयोग/सभी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
6. सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अनुभाग।

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 13 नवम्बर , 2003

संकल्प

सं 24012/8क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-।।। (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थातः-

(क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प के पैरा 2(1) में उप-पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात :-

“(ग) अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक/लेखा परीक्षा) के पद पर और 6500-10500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर भी भर्ती करना।”

हस्ताक्षर/-

निदेशक

पाद-टिप्पणी :- मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39019/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर , 2005

संकल्प

सं 24012/8-क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-।।। (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थातः-

क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प और जिसे दिनांक 13.11.2003 के तहत संशोधन किया गया है, के पैरा 2(1) में उप-पैरा (ख) के पश्चात् विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थातः

"(ग) 6500-10,500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करना।"

ह०/-
(श्रीमती शुभा ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी : मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया था और दिनांक 22-11-2003 के सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख) के तहत संशोधित किया गया था।

सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख) दिनांक 29 सितम्बर, 2005
सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि अग्रेषित :

क. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

ख. विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

ग. विधायी विभाग, (रा.भा.स्कंध), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।

घ. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर, हाउस, नई दिल्ली।

ड. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली।

च. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के सभी अनुभाग/अधिकारी

छ. वेबसाइट कक्ष, रा.सू.के., कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

ज. सुविधा केन्द्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। 20 अतिरिक्त प्रतियां।

झ. गार्ड फाइल।

ञ. 50 अतिरिक्त प्रतियां।

ह०/-

(श्रीमती शुभा ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

संकल्प

नई दिल्ली,14 जनवरी , 2011

सं. 39018/01/1998-स्था. (ख)-खंड-।।-भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अपने दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी-।।। (अब समूह 'ग') गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। आयोग के कार्य 6500-10500/-रूपए के वेतनमान वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती को शामिल करने के लिए समय-समय पर बढ़ाए गए थे। दिनांक 1.1.2006 से वेतनमान में संशोधन और सरकार के अधीन सभी सिविल पदों का पुनर्वर्गीकरण होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 9 अप्रैल, 2009 के आदेश संख्या एस.ओ.946 (ड.) के तहत आयोग के कार्य और भूमिका को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। अतः दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/(एस)/74 स्था. (ख) और इस विषय पर उसके उत्तरवर्ती संकल्पों के अधिक्रमण में, कर्मचारी चयन आयोग का गठन और कार्य तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से होगाः-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

(i) ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातें जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया हो, के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। आयोग को एक सचिवालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसकी अध्यक्षता एक सचिव, जो परीक्षा नियंत्रक भी होगा, द्वारा की जाएगी तथा अन्य सहयोगी अधिकारी व कर्मचारी भी, जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आवश्यक समझें, उनका सहयोग करेगी।

(ii) यह आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और सरकार के दिशा-निर्देशों, सलाह और नीतियों के अध्यधीन कार्य करेगा।

2. कार्य

कर्मचारी चयन आयोग :-

(क) (i) भारत सरकार और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैंड-। और वेतन बैंड-2 के

4600 रू. तक के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।

(ii) रू. 4600/-तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 एवं वेतन बैंड-1 मे भारत सरकार के ऐसे पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शॉर्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय/आशुलिपिकीय सेवाओं या इस प्रकार की अन्य सेवाओं, जो आयोग को सौंपी गई हैं अथवा सौंपी जा सकती हैं, के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करेगा।

(iv) अंग्रेजी/हिन्दी में आवधिक कौशल परीक्षण और अन्य ऐसे कौशल परीक्षण, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, संचालित करेगा।

(ख) अन्य ऐसे कार्य करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इसको सौंपे जाएंगे।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य एवं जिम्मेदारियां

(क) अध्यक्ष

कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगाः-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित पदों की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों को निर्धारित करना, जिसके लिए आयोग को भर्ती करने, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कारों के जरिए समुचित अभ्यर्थियों का चयन करने, सूचित रिक्तियों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की अनुशंसा करने तथा की गई नियुक्ति का अभिलेख रखने का अधिदेश है।

(ii) आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करना।

(iii) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(ख) सदस्य

सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे

(i) जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे।

(ii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग के कार्यों का निर्वहन करने में, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आयोग में एक या अधिक अधिकारियों को कार्यालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

5. कार्यालय की अवस्थिति

कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में, आयोग के प्रवर्ती क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, होगा जो पहले से कार्य कर रहे हैं। आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां वह आवश्यक समझता है (केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से), आयोग के और भी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।

6. आयोग के किसी भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने और आयोग की कार्यप्रणाली पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आयोग विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के लिए अभ्यर्थियों से उतना शुल्क वसूल करेगा, जितना कि भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाए।

ह०/-
(सुश्री ममता कुन्द्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संप्रेषित की जाए और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह०/-
(सुश्री ममता कुन्द्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 24 जुलाई , 2012

संकल्प

सं. 24012/29/2011-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत आगे संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात् :-

(क) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2क(1) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

पैरा 2क (i) भारत सरकार और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैण्ड-1 और वेतन बैण्ड 2 के 4800 रू तक के ग्रेड वेतन वाले समूह (ख) अराजपत्रित और समूह (ग) (गैर तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।

(ख) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2 क (ii) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात-

पैरा 2क (ii) रूपए 4800-/ तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैण्ड-2 एवं वेतन बैण्ड-1 में भारत सरकार के अधीन ऐसे अराजपत्रित पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शार्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।

ह0/-

(यू.एस. चट्टोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :- मुख्य संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/ 1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

संख्या 39018/01/2012-स्था (ख) ....भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था(ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 14.01.2011 के खण्ड II के संकल्प सं 39018/1/98- स्था.(ख) तथा दिनांक 24.07.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के तहत आगे संशोधित किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 24.07.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के साथ पढ़े गए दिनांक 14.01.2011 के संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थातः-

दिनांक 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2 क(i) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थातः-

"पैरा 2 क (V)" भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की पद पर वेतन बैंड 2, रू. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रू. 4800/- में समूह 'ख' (राजपत्रित) की सीधी भर्ती करेगा"।

हस्ता / -

(डॉ देवेश चतुर्वेदी))

संयुक्त सचिव ,भारत सरकार

टिप्पणी: - मुख्य संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं 39018/01/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।

सं 39018/01/2012-स्था.(ख) **दिनांक: 17.02.2016**

अग्रेषित प्रतिलिपि: -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, ढोलपुर हाउस, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी कार्यालय परिसर, नई दिल्ली।
5. स्था (आरआर) डेस्क, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस सरकारी संकल्प को "राजपत्र अधिसूचना" शीर्षक के रप में इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. गार्ड फाइल
8. 10 अतिरिक्त प्रतियां।

हस्ता / -

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव,भारत सरकार

परिशिष्ट -ख

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक चार्ट

परिशिष्ट -ख (1)

कर्मचारी चयन आयोग

मुख्यालय कार्यालय

क)	**अध्यक्ष**	श्री अशीम खुराना
	सदस्य	श्री मनोज कुमार पांडे
	सदस्य	श्री सी.पी. जैन *
ख)	**क्षेत्रीय कार्यालय**	**(क्षेत्रीय निदेशक)**
	मध्य क्षेत्र	श्री राहुल कुमार सचान
	पूर्वी क्षेत्र	श्रीमती प्रियंका बासु इंग्टी
	केरल कर्नाटक क्षेत्र	श्रीमती विजयालक्ष्मी पी बिदारी
	उत्तरी क्षेत्र	श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	श्री नाचान जिमिक
	दक्षिण क्षेत्र	श्री पी. करूपासामी
	पश्चिमी क्षेत्र	श्री के.बी. जगताप
	उप-क्षेत्रीय कार्यालय	**(उप निदेशक)**
	मध्य प्रदेश क्षेत्र	श्री वी.एम. पटवा
	पश्चिमोत्तर क्षेत्र	श्री रैन मिश्रा

* 15.12.2016 तक

परिशिष्ट - ख (II)

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय अध्यक्षों की सूची

(01.07.1976 से)

क्रम सं	नाम	से	तक
1.	श्री सईद हामिद	01.07.1976	16.06.1980
2.	श्री मती इंद्रजीत कौर	10.07.1980	10.07.1985
3.	श्री एस.सी.मित्तल	23.07.1985	23.07.1990
4.	श्री एस.एन. बाज्पे	23.07.1990	12.07.1994
5.	श्री बी.शंकरन	28.11.1994	09.11.1998
6.	श्री के.एम.लाल	11.01.1999	21.06.2002
7.	श्री बी.के.मिश्रा	24.06.2002	19.10.2004
8.	श्री प्रकाश चन्द्र*	20.12.2004	23.11.2005
9.	श्री आई.एम.जी खान**	28.11.2005	12.01.2006
10.	श्री ब्रह्म दत्त**	13.01.2006	30.10.2006
11.	डॉ (श्रीमती) सी.टी.मिश्रा	30.10.2006	27.10.2008
12.	श्रीमती विभा पुरी दास**	29.10.2008	23.04.2009
13.	श्री एन.के.रघुपति	24.04.2009	02.03.2013
14.	श्री ए. भट्टाचार्य	20.03.2013	02.12.2015
15.	श्री अशीम खुराना	09.12.2015	अब तक

* कार्यकारी अध्यक्ष

** अतिरिक्त प्रभार

परिशिष्ट - ख (1II)

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय सदस्यों की सूची

(01.07.1976 से)

क्रम सं	नाम	से	तक
1.	श्री एच.एन. त्रिवेदी	01.11.1976	31.12.1979
2.	श्री अमर सिंह	07.01.1980	19.12.1982
3.	श्री बी.आर.आर. अयंगर	08.03.1983	07.03.1988
4.	श्री एन.के अग्रवाल	17.07.1986	16.07.1991
5.	श्री एस.एन.बाज्पे	11.01.1989	22.07.1990
6.	श्री ए.जयरमन	10.10.1990	09.10.1995
7.	श्री ए.के. सिंघल	01.12.1991	11.01.1993
8.	श्री गुरबचन सिंह	05.01.1996	04.01.2001
9.	श्री एस.एस.रॉय	16.03.1998	04.08.1998
10.	श्री डी.एस.मुखोपाध्याय	25.02.1999	15.11.2000
11.	श्री आर.के. टंडन	30.03.2001	24.01.2004
12.	श्री प्रकाश चन्द्र	16.08.2001	15.08.2006
13.	श्रीमती प्रतिभा मोहन	08.10.2004	07.10.2009
14.	श्री वी.कण्णन	05.05.2008	20.07.2011
15.	श्री एस.के. लोहनी	12.10.2009	11.10.2010
16.	डॉ.देव दत्त शर्मा	25.01.2012	06.03.2014
17.	श्री संजय विक्रम सिंह	20.06.2011	19.06.2016
18.	श्री सी.पी.जैन	07.03.2014	15.12.2016
19.	श्री मनोज कुमार पांडे	15.07.2016	अब तक

परिशिष्ट - ग

कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्र/उप क्षेत्र	स्थापना की तारीख
उत्तरी क्षेत्र (नई दिल्ली)	01.07.1976 (26.09.1979)*
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	14.11.1977
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	27.12.1977
मध्य क्षेत्र (इलाहाबाद)	31.12.1977
पश्चिमी क्षेत्र (मुम्बई)	10.01.1978
मध्य प्रदेश क्षेत्र (रायपुर)	01.01.1980
पूर्वोत्तर क्षेत्र (गुवाहाटी)	07.02.1981
केरल कर्णाटक क्षेत्र (बंगलूरू)	01.03.1990
पश्चिमोत्तर क्षेत्र (चंड़ीगढ़)	16.11.1996

*** 26.09.1979 को पृथक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया।**

परिशिष्ट - ग (1)

क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क्षेत्र	क्षेत्रीय मुख्यालय	पता	क्षेत्र में आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्रीय निदेशकों के दूरभाष संख्या
क्षेत्रीय कार्यालय				
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	ब्लॉक संख्या-12 केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	राजस्थान,दिल्ली तथा उत्तराखंड	011-24360944/24364802 (फैक्स)011-24360944
मध्य क्षेत्र	इलाहाबाद	21-23, लाउदर रोड,इलाहाबाद – 211 002.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश	हेल्पलाईन नं 0532-2460511/ 9452424060 0532 -2460511 (फैक्स)
पूर्वी क्षेत्र	कोलकाता	निजाम पैलेस,प्रथम एमएसओ भवन, (8वां तल), 234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता - 700020	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,सिक्किम, झारखंड और संघ राज्य क्षेत्र अंडमन और निकोबार द्वाप समूह	033-22904424/22904422/ 22902230 033-22904424 (फैक्स)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	गुवाहाटी	बेलतोला- बशिष्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006.	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोराम, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा	0361-2235649/ 2611449, 0361-2224779 (फैक्स) हेल्पलाईन नं 9085015252, 9085073593
पश्चिमी क्षेत्र	मुम्बई	प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन (पुराना सीजीओ बिल्डिंग) 101, एम.के.रोड, मुम्बई - 400020	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन,दीव,दादर और नगर हवेली	022-22019117/22019118 /22018866 022-22018527 (फैक्स)
दक्षिणी क्षेत्र	चेन्नई	(तमिलनाडु टैक्स्ट बुक सोसाइटी) इवीके सम्पथ विल्डिंग, द्वितीय तल, कॉलेज रोड, चेन्नई - 600006	आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	044-28275568/ 28235021 /28251138 044-28270561 (दूर./फैक्स) हेल्पलाईन नं 044-28251139/ 9445195946
केरल और कर्नाटक क्षेत्र	बंगलूरू	केन्द्रीय सदन, प्रथम तल, ई-विंग, द्वितीय खंड, कोरमंगला, बंगलूरू - 560034	कर्नाटक, केरल तथा लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	080-25527342 – स.नि. 080- 25520653 – क्षे.नि. 080-25520653 (दूर./फैक्स) हेल्पलाईन नं 080-25502520(कन्नड़) 09453862020(मलयालम)
उप क्षेत्रीय कार्यालय				
मध्य प्रदेश क्षेत्र	रायपुर	जे-5, अनुपम नगर, रायपुर(छत्तीसगढ़)-492007.	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	0771-2282678/ 2282507 0771-2282678 (फैक्स)
पश्चिमोत्तर क्षेत्र	चंड़ीगढ़	ब्लॉक सं- 3, भूतल,केन्द्रीय सदन, सैक्टर - 9,चंड़ीगढ़ – 160017	हिमचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0172-2742144/ 2749378 0172-2742144 (फैक्स) 0172-2741060-क्षे.नि 0172-2744366 (हेल्पलाईन नं)

परिशिष्ट - घ

विभिन्न पदों के नाम / वेतन स्तर

क्रम सं	पद का नाम	वेतन स्तर (7 वे सीपीसी रिपोर्ट के अनुसार)
1.	अध्यक्ष	स्तर -15
2.	सदस्य	स्तर -14
3.	सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक	स्तर -13
4.	निदेशक	स्तर -13
5.	उप सचिव	स्तर -12
6.	क्षेत्रीय निदेशक	स्तर -12
7.	अवर सचिव /उप निदेशक	स्तर -11
8.	प्रधान निजी सचिव	स्तर -11
9.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	स्तर -10
10.	लेखा अधिकारी	स्तर -8
11.	प्रोग्रामर	स्तर -7
12.	अनुभाग अधिकारी /सहायक निदेशक	स्तर -8
13.	निजी सचिव /आशुलिपिक श्रेणी क+ ख	स्तर -8
14.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक (श्रेणी-ख)	स्तर -7
15.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	स्तर -7
16.	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्तर -7
17.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	स्तर -7
18.	लेखाकार	स्तर -6
19.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-I	स्तर -6
20.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	स्तर -6
21.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक (श्रेणी-क)	स्तर -6

22.	डीईओ (श्रेणी "ग") /प्रबंधक (कैंटीन)	स्तर -6
23.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-II	स्तर -5
24.	पुस्तकालय श्रेणी-II	स्तर -5
25.	डीईओ (श्रेणी "ख")	स्तर -5
26.	केयरटेकर	स्तर -5
27.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक./आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	स्तर -4
28.	डीईओ (श्रेणी "क") /सहायक प्रबंधक-सह- भंडारी	स्तर -4
29.	हलवाई-सह-रसोईया	स्तर -3
30.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक./लिपिक (कैंटीन)	स्तर -2
31.	स्टॉफ कार ड्राइवर/सहायक हलवाई-सह-रसोईया	स्तर -2
32.	एम.टी.एस	स्तर -1
33.	कैंटीन परिचर	स्तर -1

टिप्पणी : संयुक्त निदेशक (पू.क्षे.), संयुक्त निदेशक (अनु.एवं वि.), उप निदेशक (मुख्यालय), वित्त एवं बजट अधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II के पदों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है। आयोग में पिछले 10-13 वर्षों से ये पद खाली हैं।

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की स्टॉफ संख्या

समूह - क

क्रम सं	पद का नाम	मु.	उ. क्षे.	म. क्षे.	प. क्षे	पू. क्षे	पूर्वो क्षे.	द. क्षे.	म.प्र. क्षे.	के.क .क्षे.	पश्चि. क्षे.	योग
1.	अध्यक्ष	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
2.	सदस्य	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
3.	सचिव सह परीक्षा नियंत्रक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
4.	निदेशक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
5.	उप सचिव	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
6.	क्षेत्रीय निदेशक	-	01	01	01	01	01	01	-	1	-	**07**
7.	उप निदेशक	-	-	3	1	2	1	1	1	-	1	**10**
8.	उप निदेशक (अनु.एवं वि.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
9.	उप निदेशक (रा.भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
10.	अवर सचिव	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**14**
11.	उप निदेशक (ईडीपी)	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
12.	प्रधान निजी सचिव	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
	योग	**24**	**03**	**04**	**02**	**03**	**02**	**02**	**01**	**01**	**01**	**43**

समूह 'ख'

क्रम स	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म. क्षे.	प. क्षे	पू. क्षे	पूर्वो क्षे.	द.क्षे .	म.प्र. क्षे.	के.क. क्षे.	पश्चि. क्षे.	योग
13.	लेखा अधिकारी	-	01	01	01	01	01	-	-	-	-	**05**
14.	अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक	24	06	06	04	05	02	03	02	02	02	**56**
15.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
16.	निजी सचिव (आशुलिपिक श्रेणी क+ख विलय)	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	**06**
17.	प्रोग्रामर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
18.	डीपीए श्रेणी ख	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**04**
19.	लेखाकार	01	-	01	01	01	01	01	01	01	01	**09**
20.	सहायक अनुभाग अधिकारी	40	10	09	08	07	03	07	03	05	03	**95**
21.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	05	-	-	01	-	01	01	01	01	01	**11**
22.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
23.	अनुसंधान सहायक श्रेणी- I	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
24.	कैंटीन प्रबंधक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
	योग	**86**	**18**	**17**	**14**	**15**	**08**	**12**	**07**	**09**	**07**	**193**

समूह 'ग'

क्रम सं	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म. क्षे.	प. क्षे	पू. क्षे	पूर्वो क्षे.	द. क्षे.	म.प्र. क्षे.	के.क .क्षे.	पश्चि. क्षे.	योग
24.	अनुसंधान सहायक श्रेणी- II	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**03**
25.	डीपीए श्रेणी "क"	11	03	-	-	-	-	-	-	-	-	**14**
26.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	01	01	01	01	01	01	-	01	-	**08**
27.	पुस्तकालय श्रेणी II	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
28.	डीईओ(श्रेणी "ग")	03	03	-	-	01	-	-	-	-	-	**07**
29	डीईओ(श्रेणी "ख")	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**07**
30	केयरटेकर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
31	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	08	01	01	01	01	01	01	-	01	01	**16**
32	आशुलिपिक श्रेणी "घ"	05	01	02	01	02	01	01	01	01	01	**16**
33	डीईओ(श्रेणी "क")	09	01	02	03	01	01	02	01	-	01	**21**
34	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	**10**
35	स्टॉफ कार ड्राइवर	02	01	01	01	01	01	01	01	01	-	**10**
36	एमटीएस	40	09	07	09	13	05	12	05	07	05	**112**
37	सहायक प्रबंधक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
38	कूपन लिपिक	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
39	हलवाई-सह-रसोईया	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
40	सहायक रसोईया	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01**
41	कैंटीन परिचारक	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**08**
	योग	**106**	**21**	**15**	**17**	**21**	**11**	**19**	**09**	**12**	**09**	**240**

समूह/श्रेणी-वार संस्वीकृत स्टॉफ की संख्या

समूह	मु.	क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय	योग
समूह "क"	24	19	**43**
समूह "ख"	86	107	**193**
समूह "ग"	106	134	**240**
योग	**216**	**260**	**476**

टिप्पणी : संयुक्त निदेशक (पू.क्षे.), संयुक्त निदेशक (अनु.एवं वि.), उप निदेशक (मुख्यालय), वित्त एवं बजट अधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II के पदों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है। आयोग में पिछले 10-13 वर्षों से ये पद खाली हैं।